[2018] 4 एस. सी. आर 955

शफीन जहान

वी.

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस.

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 366)

अप्रैल 09,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

हैबियस कॉर्पसः द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की लिखित याचिका

प्रतिवादी-पिता को आशंका है कि उसकी बेटी (प्रतिवादी)

नहीं। 9) 26 वर्ष की आयु को देश से बाहर ले जाने की संभावना थी-रिट याचिकाकर्ता की बेटी अदालत के समक्ष पेश हुई और

स्पष्ट रूप से अपने माता-पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया और प्रतिवादी संख्या के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। 7 - रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उसने अपीलार्थी के साथ विवाह किया-विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने कहा कि 24 वर्ष की आयु की लड़की कमजोर और कमजोर है और कई तरीकों से शोषण करने में सक्षम है और माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसकी अभिरक्षा का निर्देश दिया।

रिट याचिकाकर्ता-पिता इन निर्देशों के साथ, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और प्रतिवादी नं. 9 शून्य और शून्य के रूप में-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पसंद की अभिव्यक्ति कला के तहत एक मौलिक अधिकार है। 19 और संविधान की धारा 21, यदि उक्त विकल्प किसी वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है-एक बार जब वह पहलू स्पष्ट हो जाता है, तो जांच और दृढ़ संकल्प को समाप्त करना पड़ता है-बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट में, विशेष रूप से तत्काल मामले में, सामाजिक ढांचे पर विचार करना बिल्कुल अनावश्यक था।

कट्टरता-यदि किसी भी क्षेत्र में कोई आपराधिकता है, तो यह कानून लागू करने वाली एजेंसी पर है कि वह आवश्यक कार्य करे, लेकिन जब तक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने को सही ठहराने के लिए कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है, जो चुनौती के तहत है, तब तक अदालत का दायित्व प्रसिद्ध रिट का प्रयोग करना है जो हमारी संवैधानिक गारंटी में जीवन की सांस लेता है।

स्वतंत्रता के मामले में, पिता अपने स्वयं के रुख और धारणा में महसूस कर सकता है कि अपनी बेटी के हित की रक्षा करने के अपने अधिकार का भारी उल्लंघन किया गया है, लेकिन उसके दृष्टिकोण को अपनी

बेटी के मौलिक अधिकारों को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने अपनी इच्छा से अपीलार्थी से शादी की-इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच विवाह को रद्द करने का बोझ अपने ऊपर लेकर पूरी तरह से गलती की। 9

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खानविलकर, जे.) हैबियस कॉर्पस: बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका पर विचार करने में रिट अदालत की भूमिका-आयोजित: बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुख्य उद्देश्य

कोष यह देखना है कि कानून की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वंचित न रहे-यह देखना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि उक्त अधिकार को किसी भी तरह से अपमानित न किया जाए और इसकी पवित्रता किसी भी तरह के छल से प्रभावित न हो-न्यायालय की भूमिका यह देखना है कि बंदी को उसके सामने पेश किया जाए, उसकी स्वतंत्र पसंद के बारे में पता करें और यह देखें कि व्यक्ति को अवैध प्रतिबंध से रिहा किया जाए-जब निरोध अवैध नहीं है तो मुद्दा अलग है। (दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए. एम. खानविलकर, जे.)

हैबियस कॉर्पस: हैबियस कॉर्पस का लेखन-यदि कथित बंदी रिट अदालत के समक्ष पेश होती है और कहती है कि वह हिरासत में नहीं थी

अवैध कारावास, न्यायालय के लिए अनुच्छेद के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का कोई वारंट नहीं है। 226 - बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका पर विचार करते समय विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग स्पष्ट रूप से भारत के संविधान की न्यायिक शक्ति से अधिक है। (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.)

भारत का संविधान: Art.21-वयस्क का अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार-उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट पर विचार करते हुए विवाह को रद्द करना-आयोजित:

वैवाहिक स्थिति से वंचित होना गंभीर महत्व का विषय है और यह सख्ती से कानून के अनुसार होना चाहिए-उच्च न्यायालय को Art.226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवाह को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करनी चाहिए थी-संविधान स्वतंत्रता और स्वायत्तता को मान्यता देता है जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित है-इसमें शामिल हैं -

उन पहलुओं पर निर्णय लेने की क्षमता जो किसी के व्यक्तित्व और पहचान को परिभाषित करते हैं-एक साथी का चुनाव चाहे वह विवाह के भीतर हो या बाहर, प्रत्येक व्यक्ति के अनन्य क्षेत्र में निहित है।

विवाह की अंतरंगताएँ गोपनीयता के एक मूल क्षेत्र के भीतर होती हैं, जो एक व्यक्ति का जीवन चुनने का पूर्ण अधिकार है।

साथी विश्वास के मामलों से कम से कम प्रभावित नहीं होता है -

संविधान प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अधिकार की गारंटी देता है

धर्म का पालन, प्रचार और प्रचार-विवाह के मामलों में विश्वास और विश्वास के विकल्प वास्तव में एक ऐसे क्षेत्र में निहित हैं जहां व्यक्तिगत स्वायत्तता सर्वोच्च है।

अपीलार्थी रिट याचिकाकर्ता की बेटी, शैफिन जहान बनाम से शादी करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति है।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस.

उच्च न्यायालय ने निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया-उच्च न्यायालय ने

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया-इस प्रक्रिया में, एक गंभीर उल्लंघन हुआ है

संवैधानिक अधिकार

बंदी प्रत्यक्षीकरण

सार्वभौमिक घोषणा

मानवाधिकार-Art.16। (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.)

सिद्धांत/सिद्धांत: पेरेन्स पेट्रिया सिद्धांत-आह्वान

का-आयोजित: इस सिद्धांत को केवल असाधारण मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए। जहां उसके समक्ष पक्षकार या तो मानसिक रूप से अक्षम हैं या उम्र में नहीं आए हैं और यह अदालत की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि उक्त पक्षों के पास या तो कोई माता-पिता/कानूनी अभिभावक नहीं है या कोई अपमानजनक या लापरवाह माता-पिता/कानूनी अभिभावक नहीं है-तत्काल मामले में,

यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि प्रतिवादी नहीं। 9 किसी भी प्रकार की मानसिक अक्षमता या भेद्यता से पीड़ित-वह अपनी प्रस्तुतियों में पूरी तरह से स्पष्ट थी और अपनी पसंद की अभिव्यक्ति में स्पष्ट थी-इसलिए, उच्च न्यायालय ने माता-पिता का आह्वान करने में गलती की

पेट्रिया अधिकार क्षेत्र। (दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए. एम. खानविलकर, जे.)

सिद्धांत/सिद्धांत: पेरेन्स पेट्रिया सिद्धांत-श्रेष्ठतम

अदालतें, जब वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं तो माता-पिता ऐसे व्यक्तियों के मामले में ऐसा करते हैं जो स्वतंत्र इच्छा का दावा करने में असमर्थ हैं जैसे कि नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति-इसका अभ्यास

वैवाहिक संबंध के लिए भागीदारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होना चाहिए-यह निर्णय विशेष रूप से व्यक्तियों पर निर्भर करता है-न तो राज्य और न ही समाज उस क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है-हमारे संविधान की ताकत हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता को स्वीकार करने में निहित है।

विवाह की अंतरंगताएँ, जिसमें वे विकल्प भी शामिल हैं जो व्यक्ति इस बात पर करते हैं कि विवाह करना है या नहीं और किससे विवाह करना है।

राज्य का नियंत्रण। (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.)

शब्द और वाक्यांश - पेरेन्स पेट्रिया-का अर्थ, चर्चा की गई।

(दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए. एम. खानविलकर, जे.)

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए. एम. खानविलकर, जे. 1.1 बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट का मुख्य उद्देश्य है -

यह देखें कि कानून की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वंचित न रहे। यह देखना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि उक्त अधिकार का किसी भी तरह से हनन न हो और इसकी पवित्रता प्रभावित न हो।

किसी भी तरह के छल द्वारा। [पैरा 27] [980-डी] [2018] 4 एस. सी. आर.

उसके साथ शादी करें। उच्च न्यायालय को एक के बाद होना चाहिए अपनी पसंद के संबंध में बातचीत, निर्देश दिया कि वह जहाँ चाहे जाने के लिए स्वतंत्र थी। [पैरा 28] [980-एफ-एच; 981-ए-सी]

1.3 उच्च न्यायालय ने इस पर विचार करके और गलती की

सामाजिक कट्टरता और कुछ अन्य पहलू। उच्च न्यायालय ने

प्रत्यर्थी सं. 7 द्वारा अपीलार्थी और अन्य लोगों की मिलीभगत से अपनाई गई रणनीति, जैसा कि उसने सोचा था, प्रत्यर्थी सं. 9 देश से बाहर। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश के दायरे में नहीं है। भविष्य की गतिविधि, यदि कोई हो, को नियंत्रित और नियंत्रित करने की आवश्यकता है कानून के अनुसार राज्य। आशंका उस अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं थी जिसके संबंध में उससे पहले एल. आई. एस. को बताया गया था। [पैरा 29,30] [981-सी-डी; ई-एफ]

रणजीत सिंह बनाम। पेप्सू राज्य (अब पंजाब) ए. आई. आर 1959

एससी 843 [1959] पूरक। एस. सी. आर. 727; कानू सान्याल बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग और अन्य (1973) 2 एस. सी. सी. 674: [1974] 1 एस. सी. आर. 621; उम्मू सबीना बनाम। केरल राज्य और अन्य (2011) 10 एस. सी. सी. 781: [2011] 13

एस. सी. आर. 185 संदर्भित है।

कॉक्स वी। हेक्स (1890) 15 एसी 506; गृह मामलों के राज्य सचिव बनाम। ओ 'ब्रायन [1923] एसी 603: [1923] सभी

ई. आर. प्रतिनिधि। 442 (एचएल); ग्रीन बनाम। सिकरी। गृह मामलों के राज्यों का (1942) अधिनियम 284: [1941] 3 सभी ई. आर. 388 (एच. एल.); वेयर बनाम। सैंडर्स 146 आयोवा 233: 124 एन. डब्ल्यू. 1081 (1910)

संदर्भित किया गया।

- शफीन जहान बनाम। अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस.

पी. रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन (1997 संस्करण)

संदर्भित किया गया है

2.1 एक अन्य पहलू जो उच्च न्यायालय के आदेश को अमान्य करने की मांग करता है, वह स्थिति है जिसमें उसने पेरेंस पेट्रिया सिद्धांत को लागू किया है। लैटिन में पेरेन्स पैट्रिया का अर्थ है "राष्ट्र का जनक"। कानून में, यह एक अपमानजनक या लापरवाह माता-पिता, कानूनी अभिभावक या अनौपचारिक कार्यवाहक के खिलाफ हस्तक्षेप करने और किसी भी बच्चे या व्यक्ति के माता-पिता के रूप में कार्य करने की राज्य की शक्ति को संदर्भित करता है जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है। पेरेंस पेट्रिया का अधिकार क्षेत्र है

कभी-कभी 'पर्यवेक्षी' के रूप में कहा जाता है। [पैरा 31] [981-जी]

चरण लाल साहू बनाम। भारत संघ (1990) 1 एससीसी 613: [1989] 2 पूरक। एससीआर 597; अनुज गर्ग और अन्य बनाम।

भारतीय होटल संघ और अन्य (2008) 3 एस. सी. सी. 1

: [2007] 12 एस. सी. आर. 991; अरुणा रामचंद्र शानबाग

वी. भारत संघ (2011) 4 एससीसी 454 [2011] 4

एस. सी. आर. 1057; केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस (1976) 2

एस. सी. सी. 310 [1976] 1 एस. सी. आर. 906-संदर्भित। थॉमससेट बनाम। थॉमसेट [1894] पी 295; क्लेबर्न बनाम का शहर। क्लेबर्न लिविंग सेंटर 473 यू. एस. 432,439-41: 105 एस सी टी 3249 87 एल एड 2 डी 313 (1985)-संदर्भित।

2.2 इस देश में संवैधानिक न्यायालय माता-पिता का प्रयोग करते हैं

बच्चे के कल्याण को सर्वोच्च चिंता के रूप में मानते हुए बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में देश अधिकार क्षेत्र। ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब न्यायालय पैरेंट्स पेट्रिया सिद्धांत का आह्वान कर सकता है और इसे केवल असाधारण स्थितियों में ही लागू करने की आवश्यकता होती है। संवैधानिक न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पैरेंस पैट्रिया के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन शक्ति का उक्त प्रयोग सीमितता के बिना नहीं है। अदालतें हर मामले में पेरेंस पैट्रिया सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकती हैं। उक्त सिद्धांत को केवल उन असाधारण मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां इसके समक्ष पक्ष या तो मानसिक रूप से अक्षम हैं या वे परिपक्व नहीं हुए हैं और यह अदालत के संतोष के लिए साबित होता है कि उक्त पक्षकारों के पास या तो कोई अधिकार नहीं है।

माता-पिता/कानूनी अभिभावक या अपमानजनक या लापरवाह माता-पिता/कानूनी अभिभावक हों। यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह किसी भी प्रकार की मानसिक अक्षमता या भेद्यता से पीड़ित है। वह बिल्कुल थी

अपनी प्रस्तुतियों में स्पष्ट और अपनी पसंद की अभिव्यक्ति में स्पष्ट। [पारस 39,45,52] [984-ई-एफ; 986-ई-एफ; 988-जी] [2018] 4 एस. सी. आर.

हेलर वी. डो 509 यू. एस. 312 (1993); ई. (श्रीमती) बनाम। ईव [1986] 2 एससीआर 388; सचिव, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवा विभाग बनाम। जे. डब्ल्यू. बी. और एस. एम. बी. [1992] एच. सी. ए. 15 (मैरियन का मामला): (1992) 175 सीएलआर 218; एसी वी। ओसी (एक नाबालिग) [2014] एनएसडब्ल्यूएससी 53; डीएल बनाम। एक स्थानीय प्राधिकरण और अन्य [2012] 3 सभी ईआर 1064; पुनः: एसए

(क्षमता के साथ कमजोर वयस्कः विवाह) [2005]

ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2942 (एफ. ए. एम.); आर. ई. एफ. में (मानसिक रोगीः

नसबंदी [1990] 2 ए. सी. 1; एक स्थानीय प्राधिकरण बनाम। एच. बी., एम. बी., एम. एल. और बी. एल. (उनके बच्चों के अभिभावक द्वारा) [2017] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 1437 (परिवार); एक स्थानीय प्राधिकरण बनाम। Y. [2017]

ई. डब्ल्यू. एच. सी. 968 (परिवार)-संदर्भित

3.1 कानून के अनुसार पसंद की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत पहचान की स्वीकृति है। उस अभिव्यक्ति में कटौती और अवधारणा पर उससे निकलने वाली अंतिम कार्रवाई

समाज के प्रति समर्पण का संरचनावाद किसी व्यक्ति की व्यक्तिवादी इकाई को नष्ट कर देगा। सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का अपना स्थान है लेकिन वे संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हैं। उक्त स्वतंत्रता संवैधानिक और मानव अधिकार दोनों है। उस स्वतंत्रता से वंचित होना जो विश्वास के अनुरोध पर चयन में निहित है, अस्वीकार्य है। एक व्यक्ति का विश्वास उसके सार्थक अस्तित्व के लिए आंतरिक है। आस्था की स्वतंत्रता उसकी स्वायत्तता के लिए आवश्यक है और यह संविधान के मूल मानदंडों को मजबूत करता है। विश्वास चुनना व्यक्तित्व का आधार है और इसके बिना, पसंद का अधिकार एक छाया बन जाता है। [पैरा 53] [989-ए-सी]

3.2 न्यायालय का कर्तव्य अधिकार को बनाए रखना है और अधिकार के क्षेत्र को कम करना नहीं है जब तक कि कोई वैध प्राधिकरण न हो

कानून। वैध मंजूरी के बिना, स्वतंत्रता के केंद्रीय मूल्य को एक व्यक्ति को अपनी लिपि लिखने की अनुमति देनी चाहिए। व्यक्तिगत हस्ताक्षर अवधारणा का प्रतीक चिन्ह है। हाथ में मामले में, पिता अपने स्वयं के रुख और धारणा में महसूस कर सकते हैं कि वहाँ है

अपनी बेटी के हितों की रक्षा करने के उसके अधिकार का भारी उल्लंघन, लेकिन उसके दृष्टिकोण या स्थिति को उसकी बेटी के मौलिक अधिकारों को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने अपनी इच्छा से अपीलार्थी से शादी की थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह

को रद्द करने का भार अपने ऊपर लेकर पूरी तरह से गलती की है। 9 जब दोनों अपने विवाह की प्रतिज्ञा में लगे हुए थे। विवादित क्रम शफीन जहान बनाम निर्धारित किया गया है।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस.

एक तरफ, हालांकि, किसी भी संबंध में एन. आई. ए. द्वारा जांच

आपराधिकता का मामला कानून के अनुसार जारी रह सकता है। [पारस 54-56] [989-D-H]

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार, जे. (पूरक) पकड़ना: 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का दायरा पता लगाना है

अदालत के समक्ष उपस्थित होता है और दावा करता है कि एक मेजर के रूप में, वह या वह है अवैध कारावास के तहत नहीं, जिसे अदालत इच्छा की एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति मानती है, जो के अभ्यास को समाप्त करेगी

अधिकार क्षेत्र। [पैरा 14] [996-बी]

ज्ञान देवी बनाम। अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली (1976) 3 एस. सी. सी. 234; गिरीश बनाम। राधामोनी के (2009) 16 एस. सी. सी. 360; लता सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 5 एस. सी. सी. 475: 2006 (3) पूरक। एस. सी. आर. 350; भगवान दास बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2011) 6 एस. सी. सी. 396: [2011] 6 एस. सी. आर. 330; सोनी गेरी बनाम। गेरी डगलस (2018) 2 एससीसी 197; कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग (1973) 2 एससीसी

674 : [1974] 1 एस. सी. आर. 621 पर निर्भर

उड़ीसा राज्य बनाम। रामचंद्र देव और मोहन प्रसाद सिंह देव आकाशवाणी (1964) एससी 685; केशव सिंह (1965) 1 एससीआर 413; टीके रंगराजन बनाम। टी. एन. सरकार (2003) 6 एस. सी. सी 581: [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 251; रोशन दीन बनाम। प्रीति लाल (2002) 1 एससीसी 100: [2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 23; द्वारका नाथ बनाम. आई. टी. ओ., स्पेशल सर्कल डी-वार्ड, कानपुर [1965] 3 एस. सी. आर. 536; नरेश श्रीधर नीरजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य [1966] 3 एस. सी. आर. 744; एम. वी. एलिजाबेथ बनाम हरवन निवेश और व्यापार (पी) लिमिटेड 1993 सप्लीमेंट।

(2) एससीसी 433: [1992] 1 एस. सी. आर. 1003-संदर्भित।

2. प्रतिवादी नं. के बीच मतभेद। 9 और उसके पिता दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं था।

अदालत यह तय करने के लिए कि वह प्रतिवादी के लिए जीवन का 'न्यायपूर्ण' तरीका या 'सही' जीवन शैली क्या मानती है। 9 . उसे अपने व्यक्ति पर पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। उत्तरदाता नं. 9 उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए और कहा कि वह अवैध कारावास में नहीं थी। उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में आगे बढ़ने का कोई वारंट नहीं था। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उद्देश्य समाप्त हो गया।

एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया गया जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने अधिकार क्षेत्र के लिए विदेशी है। उच्च न्यायालय ने इस आचरण को दयालुता से नहीं लिया

उत्तरदाता नं. 9 , यह देखते हुए कि जब उसने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए निर्देश जारी करने के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी थी, तो उस स्तर पर वह अपीलार्थी के साथ केवल उनकी शादी के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए पेश हुई थी। कितना उत्तरदाता नहीं। 9 अपना जीवन जीने का विकल्प चुनना पूरी तरह से उसकी पसंद का मामला है। अदालत के साथ उसकी स्पष्टता की कमी के बारे में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का उसकी शादी की वैधता या खुद के लिए निर्णय लेने के उसके अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके साथ वह रहना या शादी करना चाहती है। विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग, जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका पर विचार करना, स्पष्ट रूप से न्यायिक शक्ति से अधिक है। उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया है। इस प्रक्रिया में संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। [पारस 16,17] [998-डी-जी]

3. वैवाहिक स्थिति से वंचित होना गंभीर महत्व का विषय है और यह सख्ती से कानून के अनुसार होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने

राज्य और न ही कानून भागीदारों की पसंद को निर्देशित कर सकते हैं या इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र क्षमता को सीमित कर सकते हैं। वे बनते हैं। संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार। यह तय करने में कि क्या अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। 9 शादी करने के लिए, उच्च न्यायालय निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। [पैरा 19] [999-सी-जी] शफीन जहान बनाम।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस.

5. अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। संविधान गारंटी देता है कि जीने का अधिकार। इस अधिकार को एक ऐसे कानून के माध्यम से लिया नहीं जा सकता है जो मूल रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण हो।

उचित है। स्वतंत्रता के लिए आंतरिक, जिसे संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है, प्रत्येक व्यक्ति की खुशी की खोज के लिए केंद्रीय मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। विश्वास और आस्था के मामले, जिसमें विश्वास करना भी शामिल है, संवैधानिक स्वतंत्रता के मूल में हैं। संविधान आस्थावानों के साथ-साथ अज्ञेयवादियों के लिए भी मौजूद है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली या विश्वास को आगे बढ़ाने की क्षमता की रक्षा करता है जिसका वह पालन करना चाहता है। पोशाक और भोजन, विचारों और विचारधाराओं, प्रेम और साझेदारी के मामले केंद्र में हैं।

पहचान के पहलू। कानून विनियमित कर सकता है (संवैधानिक प्रावधानों के अधीन)

अनुपालन) एक वैध विवाह की शर्तें, क्योंकि यह उन स्थितियों को विनियमित कर सकती हैं जिनमें वैवाहिक बंधन को समाप्त या रद्द किया जा सकता है। ये उपचार एक शादी के लिए पार्टियों के लिए उपलब्ध हैं क्योंकि वे ही हैं जो इस बात का सबसे अच्छा फैसला करते हैं कि उन्हें एक-दूसरे को वैवाहिक संबंध में स्वीकार करना चाहिए या उस रिश्ते में बने रहना चाहिए। समाज में कोई नहीं है। भागीदारों की हमारी पसंद को निर्धारित करने में भूमिका निभाना। [पैरा 21] [1000-सी-एफ]

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एस. सी. सी. 1; सामान्य कारण (एक नियम। समाज) वी। संघ का

भारत (2018) 5 एस. सी. सी. 1-इसके बाद

6. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने एक ऐसे क्षेत्र पर कदम रखा है जो संवैधानिक न्यायालय के लिए सीमा से बाहर होना चाहिए। द.

उच्च न्यायालय के विचारों ने एक निजी स्थान का अतिक्रमण किया है

महिलाओं और पुरुषों के लिए आरक्षित जिसमें न तो कानून और न ही न्यायाधीश घुसपैठ कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का विचार था कि चौबीस पर, प्रत्यर्थी नं। 9 " कमजोर और कमजोर, होने में सक्षम है

कई तरीकों से शोषण किया गया "। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि वह एक बड़ी है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार का हकदार है कि वह अपनी इच्छानुसार जीवन जी सके। इस न्यायालय की चिंता

इस मामले में हस्तक्षेप करना [2018] 4 एस. सी. आर. के गर्भपात के बारे में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय जिसका परिणाम उच्च न्यायालय में उतना ही हुआ है जितना कि पितृत्व के बारे में जो संवैधानिक दृष्टिकोण का आधार है

व्याख्या अपील में निर्णय में परिलक्षित होती है। वरिष्ठ न्यायालय, जब वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, तो वे ऐसे व्यक्तियों के मामले में ऐसा करते हैं जो स्वतंत्र इच्छा का दावा करने में असमर्थ हैं जैसे कि नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति। उस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को वैवाहिक संबंध के लिए भागीदारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यह निर्णय विशेष रूप से व्यक्तियों पर निर्भर करता है। न तो राज्य और न ही समाज उस क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते हैं। [पैरा 23] [1001-सी-एफ]

7. उत्तरदाता नहीं या नहीं। 9 अपीलार्थी से शादी करने का फैसला किया

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के परिणाम के लिए अप्रासंगिक था। भले ही उसकी शादी उससे नहीं होनी थी, लेकिन उसे केवल यह स्पष्ट करने की आवश्यकता थी कि क्या वह अवैध कारावास में थी। अगर वह

नहीं, और अपने स्वयं के प्रयासों को आगे बढ़ाने की इच्छा थी, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मामले का अंत था। तथ्य यह है कि उसने कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शादी करने का फैसला किया था

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के परिणाम पर असर डालना। संवैधानिक रूप से इसका परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। [पैरा 25] [1002-डी-ई]

8. कार्यवाही के दौरान, इस न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अनुमति दी थी न्यायालय की सहायता करें। इसके बाद एन. आई. ए. को जाँच करने की अनुमति दी गई। एन. आई. ए. उसे प्रदत्त प्राधिकार की सीमा के भीतर कानून के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं। 9 जाँच का विषय नहीं बनेगा। इसके अलावा, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश में निहित कुछ भी जांच को सशक्त बनाने के रूप में नहीं माना जाएगा। एजेंसी उन जीवनों में हस्तक्षेप करती है जिन्हें युवा जोड़ा कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में जीना चाहता है। [पैरा 26] [1002-ई-जी]

मामला कानून संदर्भ

दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए. एम. खानविलकर, जे.

[1959] पूरक। एससीआर 727

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1974] 1 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2011] 13 एससीआर 185

संदर्भित किया गया है

पैरा 25 v.

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

ए.

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

पैरा 38

संदर्भित किया गया है

बी.

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

एस.

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

डी.

पैरा 12

संदर्भित किया गया है उस पर भरोसा करें

पैरा 14

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

ई.

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

पीछा किया।

पैरा 22

एफ.

पीछा किया।

पैरा 22

न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

उच्च न्यायालय का दिनांकित 24.05.2017 आदेश

जी.

: याचिका (सीआरएल) 2016 का सं. 297।ऐसिंग, वरिष्ठ अधिवक्ता। , हारिस बीरन, मुश्ताक देव प्रकाश, के. पी. मोहम्मद शरीफ,

यदि, एस. ए. एस. अलाउद्दीन, एम. अब्दुल शुकूर,

कौर में, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मनिंदर सिंह, ए. एस. जी., श्याम दीवान, जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नलिन कोहली, आर. बालासुब्रमण्यम, प्रभास बजाज, अधिवक्ता। अंकित रॉय, सुश्री निमिषा मेनन, अक्षय अमृतांशु, नील कमल, बी. वी. बलराम दास, पी. ए. नूर मुहम्मद, सुश्री गिफारा एस., बिलाल नियामातुल्ला, माधवी दीवान, ए. रघुनाथ, सी. राजेंद्रन, एम. जी. योगमाया, सुश्री निधि खन्ना, आयुष पुरी, सी. के. सासी, मनुकृष्णन जी., सुश्री नयनतारा रॉय,

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, टी. गोपाल, सुश्री वैद्यति मिश्रा, विश्वजीत सिंह, जयदीप सिंह, राकेश मुद्गल, जीपी। कैप्टन। करण सिंह भाटी, सैयद मरज़ूक बफ़ारी, फैसल एम. अबूबकर, तौसीफ़ अहमद डार, पी. वी. दिनेश, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री भावना सिंह देव, बी. एन. दुबे,

अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

दीपक मिश्रा, सीजेआई [अपने लिए और ए. एम. खानविलकर, जे.] इंद्रधनुष को कुछ लोगों द्वारा सर्वशक्तिमान और बिजली के ऑटोग्राफ के रूप में वर्णित किया गया है, हालांकि रूपक रूप से, अन्यथा समधर्मी "प्रकृति" की क्रूरता की अभिव्यक्ति है। अवधारणात्मक रूप में तुलना को विस्तार से बताना

एक नागरिक ने एक जिद्दी पिता के कारण का भी समर्थन किया है, जिसने अपनी बेटी को एक विश्वास का पालन करने में अपनी पसंद नहीं करने देने का अत्यधिक प्रयास किया है और आगे उस व्यक्ति के साथ रहने की उसकी इच्छा को कम करने का प्रयास किया है जिसके साथ उसने विवाह किया है। यह विचार अपने आप में पितृसत्तात्मक निरंकुशता के विचार की अभिव्यक्ति है और संभवतः इस भावना के साथ आत्म-जुनून है कि महिला एक चरवाहा है। यहाँ यह जोड़ना भी आवश्यक है कि उच्च न्यायालय किसी प्रकार की धारणा पर, जैसा कि विवादित निर्णय और आदेश प्रतिबिंबित करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अत्यधिक मूल्यवान रिट के मूल नियम द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित नहीं किया गया है और विवाह को रद्द कर दिया है। और यही कारण है कि आदेश त्रुटियों का अभयारण्य बन जाता है।

2. 08.03.2018 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करने वाली अपील को स्वीकार कर लिया था:

शफीन जहान बनाम। अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" छुट्टी दे दी गई।

श्री कपिल सिब्बल और सुश्री इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हैरिस बीरन के साथ, विद्वान वकील अपीलार्थी, श्री मनिंदर सिंह, ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में जाना

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन. आई. ए.) और श्री श्याम दीवान के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 की विद्वान वकील सुश्री माधवी दीवान के साथ विद्वान वरिष्ठ वकील।

तर्कपूर्ण निर्णय का पालन किया जाएगा। कार्यात्मक भाग

आदेश इस प्रकार है:

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए,

हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान अपील में, विशेष अनुमति से, हमने हादिया उर्फ अखिला की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया था अशोकन; वह 27 नवंबर, 2017 को इस अदालत के समक्ष पेश हुईं,

और अपीलार्थी नं. 1 के साथ अपनी शादी को स्वीकार किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या 9, हादिया उर्फ अखिला अशोकन कानून के अनुसार अपने भविष्य के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। हम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मामले के संबंध में एन. आई. ए. द्वारा की गई जाँच

कानून के अनुसार आपराधिकता जारी रह सकती है।

3. वर्तमान में, हम कारण बताने के लिए आगे बढ़ते हैं।

4. जिन तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, वे यह हैं कि सुश्री अखिला उर्फ हादिया, प्रतिवादी संख्या 9, जिनकी आयु वर्तमान में लगभग 26 वर्ष है, श्री की एकमात्र संतान हैं। अशोकन के. एम., प्रतिवादी संख्या 1 और श्रीमती. पोन्नम्मा ने शिवराज से होम्योपैथिक मेडिसिन, बी. एच. एम. एस. (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी) में डिग्री पूरी की थी।

होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सेलम, तमिलनाडु। उक्त पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते समय, वह शुरू में कॉलेज के छात्रावास में रह रही थी और बाद में वह अपने कॉलेज के पास एक किराए के घर में पांच अन्य छात्रों के साथ रहने लगी, जिनमें से जसीना और फसीना, एक अबूबकर की बेटियाँ थीं। कॉलेज की

छुट्टियों के दौरान, हादिया अबूबकर के घर जाता था और एक अवसर ऐसा भी था जब जसीना और फसीना दोनों हादिया के साथ अशोकन के घर पर रहने आते थे, जो यहाँ उत्तरदाता नंबर 1 था। 6 दिसंबर, 2015 को हादिया के पैतृक [2018] 4 एस. सी. आर.

दादा ने अंतिम सांस ली। उस दिन हादिया उसके पास वापस आई।

यह आरोप लगाया जाता है कि उस समय, अशोकन के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे क्योंकि वह अपने दादा के अंतिम संस्कार के संबंध में किए गए अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए अनिच्छा दिखा रही थी। इसके बाद, वह जसीना और फसीना के साथ अपनी इंटर्नशिप के लिए सलेम चली गईं। 5 जनवरी, 2016 तक वह अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क में थीं। इसके बाद अगले दिन यानी 6 जनवरी, 2016 को अशोकन को हादिया के एक दोस्त का फोन आया जिसमें बताया गया कि हादिया उस दिन 'पर्दा' पहनकर कॉलेज गया था। प्रतिवादी संख्या 1 को आगे सूचित किया गया था। कि हदिया को किसी ने अपना विश्वास बदलने के लिए प्रेरित किया था।

5. जानकारी मिलने पर अशोकन बीमार पड़ गए। श्रीमती. अशोकन की पत्नी पोन्नम्मा ने हादिया को फोन किया और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया।

पिता। जसीना और हदिया 6 जनवरी, 2016 को रात करीब 8 बजे सलेम के लिए रवाना हुए लेकिन हदिया अपने पिता के घर नहीं पहुंची। बाद में अशोकन हदिया की तलाश में गया और उसे एक सुश्री अर्चना से पता चला कि हदिया अबूबकर के घर पर रह रही थी। इसके बाद, अशोकन ने अपनी बेटी हदिया से मिलने के लिए अबूबकर से संपर्क किया। अबूबकर ने अशोकन से वादा किया कि वह हादिया को हादिया की दोस्त सुश्री अर्चना के घर लाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और बाद में अशोकन को सूचित किया गया कि हादिया अबूबकर के घर से भाग गया है और कहीं भाग गया है। असंतुष्ट और असंतुष्ट अशोकन ने एस. पी. मालापुरम जिले के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, लेकिन चूंकि मामले की जांच में पुलिस द्वारा कोई प्रगति नहीं हुई, इसलिए अशोकन ने केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका दायर की। (आपराधिक) 2016 की सं. 25।

6. 14.01.2016 पर, जब मामला स्वीकार करने के लिए आया, तो डिवीजन बेंच ने सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया

अशोकन की उपरोक्त शिकायत पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के संबंध में। इसके बाद, आई. डी. 1 पर, जब मामले को आगे के विचार के लिए लिया गया, तो हादिया एक वकील के माध्यम से पेश हुए और 2016 की आई. ए. संख्या 792 के रूप में अभियोग दायर करने के लिए एक आवेदन दायर किया। अभियोग के लिए उक्त आवेदन को अनुमति दी गई और हादिया को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। उनकी ओर से 26.11.2016 दिनांकित एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन तथ्यों और परिस्थितियों को भी बताया गया था जिनके तहत उन्होंने अपना घर छोड़ा था। उपरोक्त हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि उसने वास्तविक स्थिति के बारे में पंजीकृत पत्र द्वारा अपने पिता के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक को भी सूचित किया था। इसके अलावा, उन्होंने एक साईनाबा के साथ रिट शाफिन जहान बनाम दायर किया।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

याचिका डब्ल्यू. पी. है। (ग) पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करने वाला 2016 का सं. 1965।

7. डब्ल्यू. पी. में डिवीजन बेंच 2016 की (आपराधिक) संख्या 25 ने हदिया को अपने पिता अशोकन के साथ उसके माता-पिता के घर जाने के लिए राजी किया, लेकिन उक्त अनुनय व्यर्थ रहे क्योंकि हदिया अपने पिता के साथ जाने को तैयार नहीं थी। इसके बाद डिवीजन बेंच ने साईनाबा के साथ बातचीत की, जिन्होंने डिवीजन बेंच को हादिया को "सत्यसारणी" संस्थान में समायोजित करने के लिए अपनी स्पष्ट इच्छा व्यक्त की और कहा कि साईनाबा बी. एच. एम. एस. डिग्री पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप करने के लिए हादिया को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। चूंकि हदिया ने यह रुख अपनाया था कि वह सत्यसारणी में शामिल होना चाहती है और वह किसी भी मामले में अशोकन के साथ अपने माता-पिता के घर वापस जाने को तैयार नहीं है, इसलिए डिवीजन बेंच ने हदिया को तब तक साईनाबा के साथ रहने की अनुमति दी जब तक कि वह सत्यसारणी में शामिल नहीं हो जाती। इसके बाद खंड पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।

सत्यसारणी में हदिया के प्रवेश के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें।

8. यह मामला डिवीजन बेंच द्वारा विचार के लिए लिया गया था

जहां हादिया की ओर से पेश वकील ने यह दिखाने के लिए दस्तावेज पेश किए कि हादिया को मलप्पुरम जिले के करुवांब्रम, मंजेरी में 'मरकज़ुल हिदया सत्यसारानी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट' नामक एक संस्थान में 20.01.2016 पर प्रवेश मिला था। हादिया के वकील ने रिट अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि हादिया यहां रह रहा था।

उक्त संस्थान का छात्रावास।

9. डिवीजन बेंच ने 25.01.2016 के फैसले के माध्यम से निर्देश दिया

इस प्रकार है:

" 8. उपर्युक्त परिस्थितियों में, हम आश्वस्त हैं कि कथित बंदी किसी अवैध कारावास में नहीं है। वह वर्तमान में उपरोक्त संस्थान में अकेले रह रही हैं। इच्छा और इच्छा। वह अवैध कारावास में नहीं है। इसलिए, हस्तक्षेप करने की कोई परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं।

बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई भी आदेश जारी करना। इसलिए मूल याचिका का निपटारा इस तथ्य को दर्ज करके किया जाता है कि कथित बंदी अपनी मर्जी से उपरोक्त संस्था में रह रही है। याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए उपरोक्त संस्थान में उससे मिलने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा, बशर्ते कोई नियम हों।

यात्रा के समय के बारे में "।

10. उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, हादिया द्वारा दायर रिट याचिका वापस ले लिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. जब मामला इस तरह खड़ा हुआ, तो पहले प्रतिवादी ने 2016 की दूसरी रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 297 दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी संभावित रूप से उसे देश से बाहर ले जाया जा सकता है और उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के माध्यम से प्रतिवादी को उसे निगरानी में रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अदालत के आगे के आदेशों के बिना उसे देश से बाहर नहीं ले जाया जाए। रिट याचिका में पिता द्वारा किए गए बयानों को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि हादिया उर्फ अखिला

अपने माता-पिता के साथ जाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और उसके द्वारा दायर हलफनामे में कहा कि उसे किसी के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। हादिया ने आगे कहा कि वह अपनी पसंद के स्थान पर रहना चाहती थी और उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया गया था और इसलिए, उसे सीरिया ले जाने की कोई संभावना नहीं थी। उच्च न्यायालय ने हलफनामे पर विचार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमारी राय है कि इस अदालत द्वारा मुकदमे के पहले दौर में दर्ज किए गए निष्कर्ष के आलोक में कि यह अदालत याचिकाकर्ता की बेटी को अपने माता-पिता के साथ जाने और रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है और वह इसमें शामिल नहीं है। किसी की भी अवैध हिरासत में, यह अदालत अब यह निर्देश नहीं दे सकती है कि याचिकाकर्ता की बेटी को यहां रहना चाहिए।

शांतिनिकेतन छात्रावास, पचलम। जब हमने पूछा कि

याचिकाकर्ता की बेटी ने कहा कि क्या वह किसी अन्य दिन पेश होने के लिए तैयार है, उसने कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख पर पेश होगी। बंदी के लिए विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि

हिरासत में लिया गया व्यक्ति अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा। हम तदनुसार बंदी को उसकी पसंद के स्थान पर रहने की अनुमति देते हैं। हम सुश्री अखिला का बयान भी दर्ज करते हैं कि वह प्रस्ताव करती है

सातवें उत्तरदाता, श्रीमती के साथ रहें। A.S.Sainaba, जिसका पता तत्काल रिट याचिका में उल्लिखित है। श्री. P.K.Ibrahim, सातवें प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सातवां प्रत्यर्थी उत्पादन का कारण बनेगा

निवास करने और कहीं और रहने के लिए, हम उस तथ्य को पुलिस उपाधीक्षक, पेरिंथलमन्ना को लिखित रूप में सूचित करेंगे और उनका पूरा आवासीय पता और टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेंगे, जिस पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। 24.10.2016 पर कॉल करें। पुलिस

उपाधीक्षक, पेरिंथलमन्ना कारण बताएँगे उस दिन याचिकाकर्ता की बेटी को पेश करना। सुश्री अखिला के माता-पिता के लिए उनसे मिलने और बातचीत करने की अनुमति होगी। शफीन जहान बनाम।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

12. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के आधार पर, हदिया को 7 वें प्रतिवादी के साथ रहने की अनुमति दी गई थी। 14.11.2016 पर,

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता के वकील ने 7 वें प्रतिवादी के घर में अपनी बेटी के निरंतर निवास के बारे में गंभीर आशंका व्यक्त की। 19.12.2016 पर, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि उसने अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया था और इसके लिए योग्यता प्राप्त की थी होम्योपैथी का अभ्यास करें और तदनुसार, राय व्यक्त की कि उन्हें बिना किसी देरी के अपनी हाउस सर्जरी पूरी करनी चाहिए और अभ्यास करने की पात्रता प्राप्त करनी चाहिए। उनकी ओर से एक बयान दिया गया कि उन्हें शिवराज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में अपनी हाउस सर्जरी पूरी करनी है।

सलेम में महिलाओं के लिए एक छात्रावास है जहाँ वह अपनी हाउस सर्जरी पूरी करने के उद्देश्य से रहने के लिए तैयार थी। के आधार पर

उपरोक्त, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

चिकित्सा व्यवसायी ने बंदी को एक के रूप में काम करने की अनुमति दी है होम्योपैथिक मेडिसिन में प्रशिक्षु अपने दिन के खर्च के लिए Rs.2000/- प्रति माह के पारिश्रमिक पर। हम यह समझने में विफल हैं कि बंदी, जिसने होम्योपैथी में डिग्री प्राप्त नहीं की है, कैसे

उसके अधीन प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी जा सकती है। बंदी ने स्वीकार किया है

अपना हाउस सर्जन पूरा नहीं किया है या योग्यता प्राप्त नहीं की है अभ्यास करें। इसलिए, यह केवल उचित है कि वह बिना किसी देरी के अपनी हाउस सर्जरी पूरी करे और इसके लिए पात्रता प्राप्त करे

होम्योपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करें। उनके वरिष्ठ वकील श्री.

S.Sreekumar हमें सूचित करता है कि, बंदी वांछित है

अपनी हाउस सर्जनसी को पूरा करना। हालाँकि, हम 7 वें प्रतिवादी के साथ हिरासत में लिए गए व्यक्ति के निरंतर निवास पर अपना असंतोष दर्ज करते हैं, जो एक अजनबी है। याचिकाकर्ता के वकील

अपने निरंतर निवास पर भी चिंता और चिंता व्यक्त करती है

सातवें उत्तरदाता के साथ। वह बंदी की सुरक्षा और कल्याण के बारे में चिंतित है। माता-पिता के रूप में उनकी चिंता और चिंता एकमात्र बेटी समझ में आती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि बंदी बिना किसी और देरी के अपने निवास को अधिक स्वीकार्य स्थान पर स्थानांतरित करे। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार

Sri.S.Sreekumar, उन्हें शिवराज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सलेम में अपनी हाउस सर्जरी पूरी करनी है।

लड़कियों के लिए एक छात्रावास है जहाँ वह रहने और अपनी हाउस सर्जरी पूरी करने के लिए तैयार है। याचिकाकर्ता अपनी शिक्षा और मेडिकल कॉलेज छात्रावास में रहने का खर्च वहन करने की पेशकश करती है। वह उसे मेडिकल कॉलेज ले जाने की पेशकश करता है और

उसे वहाँ के छात्रावास में भर्ती कराएँ। बंदी भी है, के अनुसार

विद्वान वरिष्ठ वकील, उसके साथ जाने के लिए तैयार।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इस न्यायालय के समक्ष सुबह 10.15 पर 21.12.2016 पर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा। याचिकाकर्ता उक्त तिथि पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित होगा। याचिकाकर्ता जिसके पास हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रमाण पत्र हैं, वह ऐसे प्रमाण पत्र भी लाएगा।

अदालत। हम इस मामले में आगे के आदेश पारित करेंगे, जिस तरह से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा और महिला छात्रावास में भर्ती किया जाएगा, 21.12.2016 पर। 21.12.2016 "पर पोस्ट करें।

13. 21.12.2016 पर, हदिया उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुई और बताया गया कि उसने यहाँ अपीलार्थी शफीन के साथ शादी कर ली है। उच्च न्यायालय ने उस समय, जैसा कि यह दर्शाता है, कहा कि उनकी शादी पूरी तरह से अप्रत्याशित थी।और दिए गए बयान की सत्यता का पता लगाने के लिए आगे बढ़े। इसने पूरी कवायद के संकलन के तरीके पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसने 21.12.2016 पर एक विस्तृत आदेश पारित किया। प्रासंगिक

आदेश इस प्रकार है:

" यह अदालत अपने पेरेंस पैट्रिया अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बंदी की सुरक्षा और उसकी भलाई के बारे में चिंतित और चिंतित है, विशेष रूप से रिट याचिका में लगाए गए आरोपों और उसके माता-पिता के पास लौटने के लिए बंदी की निरंतर जिद के आलोक में देखा जाता है। जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने बंदी से शादी की थी, वह आज पहली बार हमारे सामने पेश हुआ है। वह एक स्नातक और एक व्यक्ति होने का दावा करता है जो है खाड़ी में कार्यरत। कहा जाता है कि वह हिरासत में लिए गए लोगों को देश से बाहर ले जाना चाहता है। यह ठीक वही आशंका थी जो उसके पिता ने पहले के अवसर पर इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में व्यक्त की थी। इस न्यायालय ने उक्त अवसर पर यह तथ्य दर्ज किया है कि चूंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं था,

उसे सीरिया ले जाने की कोई संभावना नहीं थी। अब जो सवाल खड़ा होता है वह यह है कि क्या वह विवाह जो कथित रूप से शफीन जहान बनाम था।

कि वह कोल्लम से है। वह किस तरह से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संपर्क में आया है और किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया व्यक्ति उसके जैसे किसी अजनबी से शादी करने के लिए सहमत हो गया है, इन मामलों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। विवाह प्रमाणपत्र से पता चलता है कि विवाह खाज़ी द्वारा 7वें प्रतिवादी, श्रंबिकल हाउस, पुथुर के घर पर किया गया था। उसके घर पर शादी क्यों की गई, यह स्पष्ट नहीं है। जब तक कि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बंदी सुरक्षित हाथों में है। पेरेंस पैट्रिया अधिकारिता का प्रयोग करने वाले इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बंदी जैसी युवा लड़कियों का शोषण या उन्हें देश से बाहर नहीं ले जाया जाए। यद्यपि विद्वान वरिष्ठ वकील ने मुखरता से तर्क दिया है कि बंदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुमत प्राप्त कर लिया है, इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि बंदी जो बीस वर्ष की महिला है, वह कमजोर उम्र में है। भारतीय परंपरा के अनुसार, एक

अविवाहित बेटी माता-पिता के साथ तब तक रहती है, जब तक कि उसकी ठीक से शादी नहीं हो जाती। हम यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का कर्तव्य मानते हैं कि ऐसी असुरक्षित स्थिति में एक व्यक्ति को और खतरे का सामना न करना पड़े, विशेष रूप से ऊपर देखी गई परिस्थितियों में जहां उसकी शादी भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ की गई थी। व्यक्ति, इस्लामी धार्मिक संस्कारों के अनुसार। इसके साथ भी

इस न्यायालय द्वारा 7वें प्रत्यर्थी की मिलीभगत, जिसके साथ उसे रहने की अनुमति दी गई थी। 8. जिस तरह से विवाह किया गया है, उस पर हम अपना पूर्ण असंतोष दर्ज करते हैं। 7वें प्रत्यर्थी का कर्तव्य था कि वह इन कार्यवाहियों में एक पक्षकार होने के नाते कम से कम इस न्यायालय को पहले से सूचित करे। इस न्यायालय ने उनकी साख और आश्वासन पर भरोसा करते हुए अनुमति दी थी

उसके साथ रहने और उसके साथ रहने के लिए हिरासत में लिया। हमारे पास होगा

एक उचित वादी की अपेक्षा की जाती है, जिसमें बंदी भी शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व इस न्यायालय के एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील के माध्यम से किया जाता है, जिसने इस न्यायालय को सूचित किया है और इस तरह के कठोर पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले इस न्यायालय से अनुमति प्राप्त की है। शादी के तरीके को ध्यान में रखते हुए [2018] 4 एस. सी. आर.

किसी अन्य व्यक्ति को उससे मिलने की अनुमति नहीं है। 2) प्रथम प्रत्यर्थी जाँच कराएगा

श्री की शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पूर्ववृत्त और अन्य प्रासंगिक विवरणों में आयोजित किया जाता है। शफीन जहां, जिसे कथित विवाह का दूल्हा कहा जाता है, जिसे 19.12.2016 पर आयोजित किया गया है, जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किए गए 20.12.2016 प्रमाण पत्र से पता चलता है। प्रथम प्रत्यर्थी ऐसे विवाह के संचालन के आसपास की परिस्थितियों, विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाले संगठन के साथ-साथ उनके पूर्ववृत्त की भी जांच करेगा। इस तरह की जांच की एक रिपोर्ट इस मामले की अगली नियुक्ति की तारीख से पहले हमारे सामने रखी जाएगी। चौथा प्रतिवादी जाँच की देखरेख करेगा और देखेगा कि सभी प्रासंगिक विवरणों का पता लगाया गया है और चरमपंथी संगठनों के साथ किसी भी संबंध सहित हमारे सामने रखा गया है, जिनमें से आरोप रिट याचिका में लगाए गए हैं। 3) सचिव, ओथुक्कुंगल ग्राम पंचायत को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक शफीन जहां और हदिया द्वारा मांगी गई रसीद दिनांक 1 के अनुसार विवाह प्रमाण पत्र जारी न करें।

इस न्यायालय के आगे के आदेशों के बिना। याचिकाकर्ता बंदी के छात्रावास में रहने का खर्च वहन करेगा।

4) 6.1.2017 "पर पोस्ट करें।

14. इसके बाद, इस मामले को विभिन्न तिथियों पर उठाया गया।न्यायालय और अंततः, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, यह राय दी गई कि 24 वर्ष की आयु की लड़की कमजोर और कमजोर है और शाफिन जहान बनाम होने में सक्षम है।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

कई तरीकों से शोषण किया गया और उसके बाद, न्यायालय ने पैरेंस पेट्रिया अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कहा कि यह कल्याण से संबंधित है

अपनी उम्र की लड़की। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि कम से कम जिन लड़कियों को उसके सामने लाया जाता है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य उस पर डाला गया है और उक्त कर्तव्य का निर्वहन केवल यह सुनिश्चित करके किया जा सकता है कि अखिला उर्फ हदिया की अभिरक्षा उसके माता-पिता को दी जाए। उच्च न्यायालय ने आगे निम्नलिखित प्रभाव का निर्देश दिया:

" उसकी देखभाल की जाएगी, उसे अपना हाउस सर्जन कोर्स पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और पेशेवर रूप से योग्य बनाया जाएगा ताकि वह अपने दो पैरों पर स्वतंत्र रूप से खड़े होने की स्थिति में हो। उसकी शादी उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होने के कारण, उसके माता-पिता की सक्रिय भागीदारी से ही लिया जा सकता है। जिस विवाह को कथित रूप से किया गया है, वह एक दिखावा है और कानून की नजर में इसका कोई प्रभाव नहीं है। 7वें प्रतिवादी और उसके पति के पास सुश्री अखिला के संरक्षक के रूप में कार्य करने और उसे शादी में देने का कोई अधिकार या क्षमता नहीं थी। इसलिए, कथित विवाह अमान्य है। ऐसा घोषित किया जाता है "।

15. उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सब-इंस्पेक्टर रैंक के एक पुलिस अधिकारी को अखिला उर्फ हादिया को छात्रावास से अस्पताल ले जाना चाहिए।

उसके पिता के घर और पुलिस अधीक्षक, प्रतिवादी संख्या 2 को उनकी निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन पर निगरानी रखनी चाहिए। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

" iii) चौथा प्रत्यर्थी पेरिंथलमन्ना पुलिस स्टेशन के 2016 के अपराध संख्या 21 की जांच अपने हाथ में लेगा और चेरपुलासेरी पुलिस स्टेशन के 2016 के अपराध संख्या 2 की जांच को समन्वित करते हुए एक व्यापक जांच करेगा, जो कि डब्ल्यू. पी. की विषय वस्तु, आई. डी. 1 के जबरन धर्मांतरण में दर्ज की गई है। (सीआरएल।) इस न्यायालय की 2016 की सं. 235। चौथा प्रत्यर्थी उन संगठनों की गतिविधियों की भी जांच करेगा जो इस मामले में शामिल हैं जिनका संदर्भ हमारे द्वारा ऊपर दिया गया है। इस तरह की जांच जितनी जल्दी हो सके पूरी की जाएगी और व्यक्ति जो दोषी पाए जाते हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा।

(iv) चौथा प्रत्यर्थी इस मामले में जांच अधिकारी की ओर से खामियों की पूर्ण जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करेगा। संबंधित अधिकारी। "[2018] 4 एस. सी. आर.

16. उपरोक्त आदेश के खिलाफ, वर्तमान अपील, विशेष अनुमति द्वारा, शफीन जहां द्वारा दायर की गई थी, जिसमें विशेष आदेश दायर करने की अनुमति मांगी गई थी। अनुमति जो इस न्यायालय द्वारा दी गई हो।

17. इस अदालत ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह को प्रतिवादी संख्या 6, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन. आई. ए.) की ओर से नोटिस स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा जाँच के संबंध में विभिन्न आदेश पारित किए गए जिनका वर्णन करना आवश्यक नहीं है। यह उल्लेख करने योग्य है कि 30.10.2017 पर, इस न्यायालय ने पहले प्रतिवादी को 27.11.2017 पर इस न्यायालय के समक्ष अपनी बेटी को पेश करने का निर्देश दिया। निर्धारित तिथि पर, हादिया को इस अदालत के समक्ष पेश किया गया और हादिया के साथ कैमरे में बातचीत करने का अनुरोध किया गया, न कि खुली अदालत में, लेकिन उक्त निवेदन को खारिज करते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

भाषा। इसलिए, हमने वरिष्ठ विद्वान श्री वी. गिरि से अनुरोध किया वकील, जो अदालत में उनसे पूछे गए प्रश्नों और उत्तरों का अनुवाद करने में सहायता करने के लिए केरल राज्य का भी प्रतिनिधित्व करता है

उसे दिया।

हमने जो प्रश्न पूछे वे मूल रूप से उसकी योग्यता, अध्ययन में रुचि, जीवन की धारणा और भविष्य में वह क्या करने का इरादा रखती है, से संबंधित थे। हमारे प्रश्नों के उत्तर में, वह

उसने यह कहते हुए जवाब दिया कि उसने कोट्टायम जिले के के. वी. पुरम, वाइकोम में उच्च माध्यमिक विद्यालय से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है और उसके बाद वह तमिल राज्य के सलेम में शिवराज होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में अपने बी. एच. एम. एस. पाठ्यक्रम का अभियोजन कर रही थी।

उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम उसकी इच्छा के अनुसार निर्देश देते हैं कि उसे सलेम ले जाया जाए ताकि वह अपनी इंटर्नशिप को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। गृहस्थी। हम कॉलेज को उसे प्रवेश देने और शैफिन जहान बनाम के अनुसार छात्रावास में एक कमरे या एक साझा कमरे की सुविधा की अनुमति देने का भी निर्देश देते हैं।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

उसे अपनी इंटर्नशिप/गृहस्थी को नए सिरे से जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए अभ्यास करें। जैसा कि कहा जाए, उन्होंने स्वयं कहा है कि इंटर्नशिप/हाउसमैनशिप की अवधि 11 महीने के लिए होने की संभावना है। यदि किसी औपचारिकता का पालन करना है, तो कॉलेज सूचित करेगा।

विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय इसे स्वीकार करेंगे।

हमारे निर्देशों का अक्षर और भाव से सभी को पालन करना चाहिए।

चिंतित हैं। कहने की जरूरत नहीं है, जब वह छात्रावास में रहती है, तो उसके साथ किसी भी अन्य छात्र की तरह व्यवहार किया जाएगा और छात्रावास के नियमों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने और छात्रावास का खर्च केरल राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। यदि किसी भी पहलू के संबंध में कोई समस्या है तो कॉलेज का डीन इस न्यायालय से संपर्क करेगा। किसी भी समस्या का मतलब यह नहीं है,

छात्रावास में प्रवेश या पाठ्यक्रम में निरंतरता।

हम केरल राज्य को सभी आवश्यक कार्य करने का निर्देश देते हैं

व्यवस्था करें ताकि वह जल्द से जल्द सलेम की यात्रा कर सके। वह।

एक अनुरोध किया है कि उसे साथ होना चाहिए

सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी। राज्य प्रार्थना में उचित रूप से भाग लेगा। यदि कोई सुरक्षा समस्या उत्पन्न होती है, तो तमिलनाडु राज्य इसके लिए स्थानीय व्यवस्था करेगा। हमें बताया गया है कि वह वर्तमान में नई दिल्ली में केरल भवन में रह रही हैं। श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील, इस अदालत को आश्वासन देते हैं कि उन्हें केरल भवन में रहने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि वह सलेम नहीं जाती हैं।

हम स्पष्ट करते हैं कि एन. आई. ए. की जांच जारी रहेगी।

कानून के अनुसार "।

18. उपरोक्त संयोजन बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए कानून के पुनर्कथन का आह्वान करता है जिसे हमेशा संवैधानिक विशेषाधिकार या 'नागरिक स्वतंत्रता की पहली सुरक्षा' माना जाता है। यह निरोध के खिलाफ एक त्वरित और प्रभावी उपाय प्रदान करने के लिए है, क्योंकि इस तरह की निरोध की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

बेटा जो कैद में है।

19. पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन (1997 संस्करण) में, जबकि एनजी "बंदी प्रत्यक्षीकरण", अन्य पहलुओं के अलावा, निम्नलिखित है

तय किया गया:

" बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्राचीन विशेषाधिकार रिट अपना नाम दो अनिवार्य शब्दों बंदी प्रत्यक्षीकरण से लेता है, जो उस समय शामिल था जब यह सभी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया, [2018] 4 एस. सी. आर. के साथ समान था।

इसे लैटिन में बनाया गया था। इन रिटों का सामान्य उद्देश्य, जैसे - उनके नाम से पता चलता है कि एक व्यक्ति का उत्पादन प्राप्त करना था।"

20. कॉक्स वी। हेक्स 1, लॉर्ड हैल्सबरी ने निम्नलिखित रूप में देखा: -

" हमारे कानूनी इतिहास तक की अवधि के लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट को विषय की स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक माना गया है। यदि उस रिट पर लौटने पर यह निर्णय लिया गया कि हिरासत को उचित ठहराने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं बनाया गया था, तो परिणाम हिरासत से तत्काल रिहाई थी। यदि रिहाई से इनकार कर दिया गया था, तो हिरासत में लिया गया व्यक्ति हर न्यायाधीश या हर अदालत में एक नया आवेदन कर सकता है, और प्रत्येक अदालत या न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य था और इनकार करने वाले पिछले फैसलों से प्रभावित नहीं होना था।

निर्वहन। यदि निर्वहन का पालन किया जाता है, तो उस निर्वहन की वैधता

इस पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सका। त्रुटि या डिमरर का कोई लेख नहीं

अनुमति दी गई थी।

21. गृह मामलों के राज्य सचिव बनाम। ओ 'ब्रायन 2, इसने कहा है:

" ..... यह शायद सबसे महत्वपूर्ण रिट है जो ज्ञात है

इंग्लैंड का संवैधानिक कानून, जो अवैध संयम या कारावास के सभी मामलों में एक त्वरित और अनिवार्य उपचार करता है। यह प्राचीन काल का है, एडवर्ड प्रथम के तैंतीसवें वर्ष में इसके उपयोग का एक उदाहरण है। यह सदियों से ईर्ष्यापूर्ण रहा है।

कानून की अदालतों द्वारा अवैध पर एक जांच के रूप में बनाए रखा गया

न्यायपालिका की कीमत पर कार्यपालिका द्वारा सत्ता का दुरूपयोग "।

22. रणजीत सिंह बनाम। पेप्सू राज्य (अब पंजाब) 3, एनजी के बाद ग्रीन बनाम। सिकरी। गृह मामलों के लिए राज्यों का, यह न्यायालय

" 4. ..... बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट के लिए कार्यवाही का पूरा उद्देश्य उन्हें त्वरित बनाना है, उन्हें इससे मुक्त रखना है।

यथासंभव तकनीकीता और उन्हें यथासंभव सरल रखना।

पीठ ने लॉर्ड राइट को उद्धृत किया, जिन्होंने ग्रीन के मामले में कहा था:

" ..... बंदी प्रत्यक्षीकरण का अतुलनीय मूल्य यह है कि यह आवेदक की स्वतंत्रता के अधिकार के तत्काल निर्धारण को सक्षम बनाता है।

15 एसी 506

ए. सी. 603 [1923] सभी ई. आर. प्रतिनिधि। 442 (एचएल)

59 एससी 843

एसी 284: [1941] 3 सभी ईआर 388 (एचएल)

शफीन जहान बनाम। अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

23. कानू सान्याल बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग और

अन्य 3, एक संविधान पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के संक्षिप्त इतिहास पर विचार करने के बाद कहा कि यह अनिवार्य रूप से एक प्रक्रियात्मक रिट है जो न्याय के तंत्र से संबंधित है न कि एक मूल कानून से। रिट का उद्देश्य उस व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है जिसे अवैध रूप से उसकी स्वतंत्रता से रोक दिया गया है। न्यायालय ने आगे विस्तार से कहा:

बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट इंग्लैंड के सामान्य कानून के लिए ज्ञात सबसे प्राचीन रिटों में से एक है। यह प्राचीन काल का एक लेख है और इसकी उत्पत्ति के पहले धागे "इतिहास के निर्बाध जाल" के भीतर गहराई से बुने गए हैं और वे अनगिनत घटनाओं के बीच छिपे हुए हैं और शायद अनुपलब्ध हैं जो कुल संख्या का गठन करते हैं। ऐतिहासिक पैटर्न।

" "

24. इतिहास का पता लगाते हुए, न्यायालय ने स्पष्टीकरण दिया:

" बंदी प्रत्यक्षीकरण सह कारण की रिट ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई

चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष। सिर्फ़ इतना ही नहीं

शेरिफ को आदेश दिया कि वह अपने पूर्ववर्ती की तरह उल्लिखित व्यक्ति का "शव अपने पास रखे" लेकिन "गिरफ्तारी और हिरासत के कारण के साथ" शब्द जोड़े। जिस व्यक्ति के पास एक कैदी की अभिरक्षा थी, उसे इस रिट के अनुसार हिरासत के आधार के साथ अदालत के समक्ष पेश करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार रिट निरोध की वैधता का परीक्षण करने का एक साधन बन गया और इस रूप में इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधुनिक रिट का तत्काल पूर्वज माना जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट

पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान सामान्य कानून अदालतों द्वारा स्थानीय और मताधिकार अदालतों के खिलाफ अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करने के लिए प्रमाणपत्र और विशेषाधिकार के रिट के साथ सह-कारण का उपयोग किया गया था।

25. वेयर वी में। सैंडर्स ', शिकागो के जेम्स ए स्कॉट और चार्ल्स सी. रो द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के कानून का संदर्भ दिया गया था।

बार (टी. एच. फ्लड एंड कंपनी, पब्लिशर्स, शिकागो, इलिनोइस, 1923) जहाँ लेखकों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के पहलू पर चर्चा की है। यह नीचे लिखा है:

" बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट बहुत प्राचीन मूल के अधिकार का एक रिट है, और इसके लाभ का संरक्षण लोगों के लिए सर्वोच्च महत्व का विषय है, और इसके लिए प्रदान किए गए नियम

5 (1973) 2 एस. सी. सी. 674 6 146 आयोवा 233: 124 एन. डब्ल्यू. 1081 (1910)

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक कथित गैरकानूनी प्रतिबंध के खिलाफ रोजगार को अत्यधिक तकनीकी शिष्टता के साथ नहीं माना या लागू नहीं किया जाना चाहिए, और कब

अस्पष्ट या संदिग्ध, कार्यवाही की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए।

(उम्मू सबीना बनाम देखें। केरल राज्य और अन्य)

26. उम्मू सबीना में, अदालत ने आगे फैसला सुनाया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत को हमारे संवैधानिक कानून में शामिल किया गया है और

भारत जैसा एक लोकतांत्रिक गणराज्य जहां न्यायाधीश एक लिखित संविधान के तहत कार्य करते हैं और जिसकी रक्षा करने के लिए मौलिक अधिकारों का एक अध्याय है

यह देखना राज्य का कर्तव्य है कि उक्त अधिकार को किसी भी तरह से दूषित नहीं किया जाता है और इसकी पवित्रता किसी भी प्रकार के छल से प्रभावित नहीं होती है। न्यायालय की भूमिका यह देखना है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाए, उसकी स्वतंत्र पसंद के बारे में पता लगाया जाए और यह देखा जाए कि व्यक्ति को अवैध प्रतिबंध से मुक्त किया जाए। जब हिरासत अवैध नहीं होगी तो मुद्दा अलग होगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता का गीत ईमानदारी से गाया जाता है और किसी व्यक्ति की पसंद का सम्मान किया जाता है और इसे संविधान के रूप में सम्मानित दर्जा दिया जाता है गारंटी। यह इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत पसंद की अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है, यदि उक्त विकल्प किसी भी वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। एक बार जब वह पहलू स्पष्ट हो जाता है, तो जांच और दृढ़ संकल्प को समाप्त करना होगा।

28. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय, जैसा कि विवादित फैसले से ध्यान देने योग्य है, गलती से किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्देशित किया गया है।

घटना जो इससे पहले चित्रित की गई थी। रिट अदालत ने प्रतिवादी संख्या 9 के विवाह पर आपत्ति जताई है। अपीलार्थी। वह परेशान महसूस कर रहा था। जैसा कि हम देखते हैं, इसमें कुछ भी अपवाद नहीं था। शुरू में, हदिया ने अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 7 के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी और पहली रिट में उसने ऐसा निर्देश दिया था। संभवत: माता-पिता के जुनूनी प्रेम से प्रेरित पिता के उदासीन रवैये ने उन्हें मजबूर कर दिया।

7 (2011) 10 एस. सी. सी. 781 शफीन जहान बनाम।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

एक अन्य बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए जिसके बाद उच्च न्यायालय ने हादिया को पेश करने का निर्देश दिया जो

यहाँ अपीलार्थी के साथ दी गई तारीख को पेश हुए, जिसे उच्च न्यायालय एक अजनबी कहता है। लेकिन हदिया इस बात पर जोर देती कि उसने प्रवेश कर लिया है

उसके साथ शादी करें। यह सच है कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 7 के साथ गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है और इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि वह एक वयस्क के रूप में वैवाहिक संबंध में प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन, उच्च न्यायालय ने अनुचित रूप से यह भूलते हुए इस पर आपत्ति जताई कि माता-पिता के प्यार या चिंता को एक पुरुष को चुनने में एक वयस्क की पसंद के अधिकार को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिससे वह शादी कर ले। और, यही वह जगह है जहाँ त्रुटि आई है। उच्च न्यायालय को एक के बाद होना चाहिए

29. उच्च न्यायालय ने सामाजिक कट्टरता और कुछ अन्य पहलुओं पर विचार करके गलती की। बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट में, विशेष रूप से तत्काल मामले में, यह बिल्कुल अनावश्यक था। यदि किसी भी क्षेत्र में कोई आपराधिकता थी, तो यह कानून लागू करने वाली एजेंसी पर है कि वह आवश्यक कार्य करे, लेकिन जब तक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत को सही ठहराने के लिए कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है, जो चुनौती के तहत है, तब तक अदालत का दायित्व प्रसिद्ध रिट का प्रयोग करना है जो हमारे क्षेत्र में जीवन की सांस लेता है।

30. उच्च न्यायालय उस रणनीति से विचलित हो गया है, जैसा कि उसने सोचा था, जिसे प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा इसके साथ मिलीभगत में अपनाया गया था। हादिया को देश से बाहर ले जाने के लिए वर्तमान अपीलार्थी और अन्य। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश के दायरे में नहीं है। भविष्य की गतिविधि, यदि कोई हो, राज्य द्वारा शासित और नियंत्रित की जानी चाहिए।

कानून के अनुसार। आशंका उस अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं थी जिसके संबंध में उससे पहले एल. आई. एस. को बताया गया था।

31. एक अन्य पहलू जो उच्च न्यायालय के आदेश को अमान्य करने की मांग करता है, वह स्थिति है जिसमें उसने पेरेंस पेट्रिया को लागू किया है।

सिद्धांत। लैटिन में पेरेन्स पैट्रिया का अर्थ है "राष्ट्र का जनक"। कानून में, यह एक अपमानजनक या लापरवाह माता-पिता, कानूनी अभिभावक या अनौपचारिक कार्यवाहक के खिलाफ हस्तक्षेप करने और किसी भी बच्चे या व्यक्ति के माता-पिता के रूप में कार्य करने की राज्य की शक्ति को संदर्भित करता है जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है। पैरेंस पेट्रिया अधिकार क्षेत्र को कभी-कभी 'पर्यवेक्षी' के रूप में कहा जाता है।

8 पी. डब्ल्यू. योंग, सी क्रॉफ्ट और एम. एल. स्मिट, ऑन इक्विटी।

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. पेरेन्स पेट्रिया के सिद्धांत की उत्पत्ति 13 वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्र के संरक्षक के रूप में राजा उन लोगों के हितों की देखभाल करने के लिए बाध्य है जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं। थॉमससेट बनाम में लिंडले एल. जे. थॉमससेट ने बताया कि पेरेंस पैट्रिया अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में, "पिता और कानूनी अभिभावकों के अधिकारों का हमेशा सम्मान किया जाता था, लेकिन वास्तविक कल्याण पर विचार करके सामान्य कानून में अज्ञात सीमा तक नियंत्रित किया जाता है। सामंती काल में राजा का पेरेन्स पेट्रिया के रूप में कार्य करने का कर्तव्य आधुनिक समय में राज्य द्वारा लिया गया है।

33. ब्लैक का कानून शब्दकोश 'पेरेंस पैट्रिया' को इस प्रकार परिभाषित करता है:

" 1. राज्य को एक संप्रभु राज्य माना जाता है जो अपनी क्षमता में उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं। 2. एक सिद्धांत जिसके द्वारा एक सरकार मुकदमा चलाने के लिए खड़ी है

एक नागरिक की ओर से एक मुकदमा, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जो मुकदमे पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी रूप से अक्षम है। राज्य के पास आम तौर पर अपने नागरिकों की ओर से मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि मुकदमे द्वारा एक अलग, संप्रभु हित की पूर्ति नहीं की जाएगी।

34. चरण लाल साहू बनाम। भारत संघ, संविधान पीठ ने पेरेंस पेट्रिया की अवधारणा पर विचार करते हुए कहा:

“ 35. ..... "शब्द और वाक्यांश" के स्थायी संस्करण में, खंड। 33 पृष्ठ 99 पर, यह कहा गया है कि पेरेंस पेट्रिया एक विधायिका की अंतर्निहित शक्ति और अधिकार है जो व्यक्ति और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गैर-न्यायिक व्यक्तियों, जैसे कि नाबालिग,

पागल, और अक्षम व्यक्ति, लेकिन शब्द प्यारेन्स पेट्रिया जिसका अर्थ है देश का पिता, मूल रूप से राजा पर लागू किए गए थे और विकलांग व्यक्तियों पर संरक्षकता की अपनी संप्रभु शक्ति का उल्लेख करते हुए राज्य को नामित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। (जोर दिया गया है) पेरेंस पेट्रिया अधिकार क्षेत्र, यह समझाया गया है, संप्रभु का अधिकार है और संप्रभु पर, सार्वजनिक हित में, विकलांग व्यक्तियों की रक्षा करने का कर्तव्य लगाता है, जिनके पास कोई सही रक्षक नहीं है। पैरेंस पेट्रिया शब्द का अर्थ देश-दर-देश अलग-अलग होता है, उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में यह राजा है, अमेरिका में यह लोग हैं, आदि। व्यक्तियों की रक्षा करना और उन्हें नियंत्रित करना सरकार का कर्तव्य है अक्षमता के तहत। अवधारणात्मक रूप से, पेरेंस पेट्रिया सिद्धांत है

9 9 [1894] पी 295 10 (1990) 1 एस. सी. सी. 613 शफीन जहान बनाम।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें अपने कब्जे में लेने का राज्य का दायित्व और अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए अपने नागरिकों के विशेषाधिकार।

हमारा संविधान राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है

इसके सभी नागरिकों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार और जहाँ

राज्य को तस्वीर में आना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए और इसके लिए लड़ना चाहिए नागरिकों के अधिकार।

35. अनुज गर्ग और अन्य बनाम। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया

और अन्य 1 1, एक दो-न्यायाधीशों की पीठ, पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 30 की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए "25 वर्ष से कम आयु के किसी भी पुरुष" या "किसी भी महिला" को ऐसे परिसर के किसी भी हिस्से में नियुक्त करना जिसमें जनता द्वारा शराब या मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, इस प्रकार माता-पिता की देशभक्त शक्ति के संदर्भ में राय दी गई है।

राज्य:

" 29. अधिनियम की धारा 30 का एक महत्वपूर्ण औचित्य माता-पिता है।

राज्य की देशभक्तिपूर्ण शक्ति। यह एक माना जाने वाला तथ्य है कि माता-पिता का उपयोग

देशभक्त शक्ति पूरी तरह से न्यायिक जांच के दायरे से बाहर नहीं है।

30. पेरेन्स पेट्रिया की शक्ति केवल निश्चित रूप से प्राप्त करने में सक्षम रही है।

कानूनी अभिविन्यास के रूप में इसने अपने आधार को केवल होने से स्थानांतरित कर दिया

अधिक वस्तुनिष्ठ आधार अर्थात उपयोगिता के लिए नैतिकतावादी। विषय-वस्तु।

पेरेंस पेट्रिया पावर के मामले को दो आधारों पर तय किया जा सकता है:

((i) इसकी आवश्यकता के संदर्भ में, और ((ii) किसी भी व्यापार-बंद या प्रतिकूल प्रभाव का आकलन, यदि

कोई भी।

यह जांच सिद्धांत को एक वस्तुनिष्ठ अभिविन्यास देती है और

इसलिए इसे उचित प्रक्रिया चुनौती के गलत होने से रोकता है।

(क्लेबर्नेव शहर देखें। क्लेबर्न लिविंग सेंटर 1 2) "

36. आगे का विश्लेषण करते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि पेरेंस पेट्रिया

निजता के अधिकार के आधार पर भी शक्ति संवैधानिक चुनौती के अधीन है। इसने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि युवा पुरुषों और महिलाओं को पता है कि सेवा क्षेत्र में उनके लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव क्या होगा और इंटरनेट के युग में, वे एक पेशे के सभी फायदे और नुकसान को जानेंगे। न्यायालय ने आगे कहा:

सामाजिक हस्तक्षेप भारत के एक नागरिक को उसे जीने की अनुमति दी जानी चाहिए अपनी शर्तों पर जीवन "।

1 1 (2008) 3 एस. सी. सी 1 1 2 473 यू. एस. 432,439-41: 105 एस सी टी 3249: 87 एल एड 2 डी 313 (1985)

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा:

" 34. स्वायत्तता और सुरक्षा के बीच मौलिक तनाव को हल करना मुश्किल है। यह एक जटिल न्यायशास्त्र संबंधी मुद्दा भी है। सही है।

आत्मनिर्णय लैंगिक न्याय विमर्श की एक महत्वपूर्ण शाखा है। उसी समय, ले जाने के लिए सुरक्षा और सुरक्षा

विशेष रूप से इस तरह के विकल्प या विकल्प, और आम तौर पर हिंसा मुक्त होने की स्थिति उसी आंदोलन का एक और सिद्धांत है। वास्तव में, बाद वाला स्पष्ट रूप से तुलना में अधिक बुनियादी मूल्य है

नारीवादी मैट्रिक्स में विकल्पों का अधिकार "।

38. अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम। भारत संघ, न्यायालय, केरल राज्य बनाम में निर्णय पर विचार करने के बाद। एन. एम. थॉमस 1 4 जिसमें मैथ्यू, जे. द्वारा कहा गया है कि "न्यायालय भी अनुच्छेद 12 (संविधान के) के अर्थ के भीतर 'राज्य' है। '99 ने राय दी:

" 130. हमारी राय में, एक अक्षम व्यक्ति के मामले में जो यह निर्णय लेने में असमर्थ है कि जीवन समर्थन वापस लेना है या नहीं।

नहीं, यह केवल अदालत ही है, अभिभावक के रूप में, जिसे अंततः यह निर्णय लेना चाहिए, हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है, निकट रिश्तेदारों, अगले दोस्त और डॉक्टरों के विचारों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

39. इस देश में संवैधानिक न्यायालय पैरेंट्स पेट्रिया का प्रयोग करते हैं।

बाल अभिरक्षा के मामलों में अधिकार क्षेत्र में बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि चिंता माना जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब न्यायालय पैरेंट्स पेट्रिया सिद्धांत का आह्वान कर सकता है और उसी को लागू करने की आवश्यकता होती है।

केवल असाधारण स्थितियों में। हम कुछ उदाहरण देना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, जहां कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट में अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, तो अदालत उपरोक्त सिद्धांत का आह्वान कर सकती है। कुछ अन्य अवसरों पर, जब कोई लड़की जो बड़ी नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ भाग जाती है और उसे उसके माता-पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण के इशारे पर पेश किया जाता है और वह अपने माता-पिता की हिरासत में जीवन का डर व्यक्त करती है, तो अदालत उसे उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है।

घर का अर्थ था महिलाओं को आश्रय देना जहां उनकी रुचि का सबसे अच्छा ध्यान रखा जा सके जब तक कि वे बड़ी नहीं हो जाती।

40. हेलर वी. डो ", न्यायमूर्ति कैनेडी ने यू. एस. सुप्रीम कोर्ट की ओर से बोलते हुए कहाः

13 (2011) 4 एससीसी 454 14 (1976) 2 एस. सी. सी 310

15 509 यूएस 312 (1993)

शफीन जहान बनाम। अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" पैरेंस पैट्रिया के तहत राज्य का वैध हित है।

अपने नागरिकों को देखभाल प्रदान करने की शक्तियाँ जो देखभाल करने में असमर्थ हैं

अपने लिए "।

41. ई. (श्रीमती) बनाम में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय। हव्वा 1 को देखा गया

पेरेन्स पेट्रिया के सिद्धांत के संबंध में:

" मानसिक रूप से देखभाल के लिए पेरेंस पैट्रिया अधिकार क्षेत्र

अक्षम प्रांतीय उच्च न्यायालयों में निहित है। इसका अभ्यास

आवश्यकता पर आधारित है। संरक्षण के लिए कार्य करने की आवश्यकता

जो अपनी देखभाल नहीं कर सकते। अधिकार क्षेत्र व्यापक है।

अगर वह पकड़ा जाता है तो भी। अधिकार क्षेत्र की सावधानीपूर्वक रक्षा की जाती है और अदालतें यह नहीं मानेंगी कि इसे हटा दिया गया है

कानून।

जबकि माता-पिता के पक्ष के अधिकार क्षेत्र का दायरा असीमित है,

फिर भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग इसके अनुसार किया जाना चाहिए

इसका अंतर्निहित सिद्धांत। इस अधिकार क्षेत्र के तहत दिया गया विवेकाधिकार

सुरक्षा की आवश्यकता वाले व्यक्ति के लाभ के लिए प्रयोग किया जाना है

और दूसरों के लाभ के लिए नहीं। इसका प्रयोग हर समय किया जाना चाहिए।

बहुत सावधानी के साथ, एक सावधानी जो इसके साथ बढ़नी चाहिए

मामले की गंभीरता। यह विशेष रूप से उन मामलों में है जहां

एक अदालत को कार्रवाई करने के लिए लुभाया जा सकता है क्योंकि कार्रवाई करने में विफलता जोखिम उठाती है स्पष्ट रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर भारी बोझ डालना।

" "

42. सचिव, विभाग में ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय

th और सामुदायिक सेवा v. जे. डब्ल्यू. बी. और S.M.B.[1]7, बोल रहे हैंजी. एच. मेसन सी. जे., डॉसन, टोहे और गौड्रोन जे. जे. , इस सिद्धांत के संबंध में विंग टिप्पणियाँ की हैं:

" 71. इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिशुओं पर अधिकार क्षेत्र अधिकांश भाग के लिए है इस अर्थ में पर्यवेक्षी कि अदालतें पर्यवेक्षण कर रही हैं

माता-पिता और अभिभावकों द्वारा शिशुओं की देखभाल और नियंत्रण का अभ्यास।

हालाँकि, यह कहने का मतलब यह नहीं है कि अधिकार क्षेत्र है

अनिवार्य रूप से पर्यवेक्षी या कि अदालतें केवल पर्यवेक्षण कर रही हैं

या माता-पिता या अभिभावक की देखभाल और नियंत्रण की समीक्षा करना। पहले की तरह

उन लोगों के लिए क्राउन की जिम्मेदारी जो देखभाल नहीं कर सकते हैं स्वयं; इसमें शिशुओं के साथ-साथ अस्वस्थ दिमाग वाले भी शामिल हैं।

6] 2 एससीआर 388

2] एच. सी. ए. 15 (मैरियन का मामला): (1992) 175 सीएलआर 218 [2018] 4 एस. सी. आर.

43. इसी मामले में डीन जे. ने निम्नलिखित बात कही:

" 4 ..... वास्तव में, एक आधुनिक संदर्भ में, इसका उल्लेख करना बेहतर है

"कल्याणकारी क्षेत्राधिकार" के रूप में पारंपरिक पेरेंस पेट्रिया क्षेत्राधिकार

और "प्रथम और सर्वोपरि विचार" के लिए जो आधार है

"कल्याणकारी सिद्धांत" के रूप में इसका अभ्यास।

44. हाल ही में, न्यू साउथ वेल्स के सर्वोच्च न्यायालय ने

ए. सी. वी. का मामला ओ. सी. (एक नाबालिग) 1 8 ने देखा है:

" 36. वह अधिकार क्षेत्र, उन लोगों की सुरक्षा जो सक्षम नहीं हैं

अपना ख्याल रखें, (विभिन्न ऐतिहासिक मार्गों के माध्यम से) नाबालिगों, मानसिक रूप से बीमार और जो मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं, वे अपने मामलों को संभालने में असमर्थ हैं: री ईव [1986] 2 एससीआर

388 407-417 पर; सचिव, विभाग में ऑस्ट्रेलिया का न्यायालय

स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाएँ v. जे. डब्ल्यू. बी. और एस. एम. बी. (मैरियन)

मामला (1992) 175 सी. एल. आर. 258 पर 218; पी. बी. बनाम। बीबी [2013] एनएसडब्ल्यूएससी 1223 पर [7]-[8], [40]-[42], [57]-[58] और [64]-[65]।

37. उस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एक प्रमुख अवधारणा यह है कि

उपयोग किया जाना चाहिए, दोनों में क्या किया जाता है और क्या पूर्ववत छोड़ दिया जाता है, व्यक्ति के लाभ के लिए, और सर्वोत्तम हित में (जैसे

नाबालिग) को सुरक्षा की आवश्यकता है।

45. इस प्रकार, संवैधानिक न्यायालय अभिभावक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

पेट्रिया ताकि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। लेकिन शक्ति का उक्त प्रयोग सीमितता के बिना नहीं है। अदालतें हर मामले में पेरेंस पैट्रिया सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकती हैं। उक्त सिद्धांत को केवल असाधारण मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां इससे पहले के पक्ष या तो मानसिक रूप से सक्षम हों। अक्षम हैं या उम्र में नहीं आए हैं और यह अदालत की संतुष्टि के लिए साबित होता है

कि उक्त पक्षों के पास या तो कोई माता-पिता/कानूनी अभिभावक नहीं है या उनके अपमानजनक या लापरवाह माता-पिता/कानूनी अभिभावक हैं।

46. श्री श्याम दीवान, पहले के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया है कि उक्त सिद्धांत का विस्तार इंग्लैंड और वेल्स अपील न्यायालय द्वारा एक मामले डीएल बनाम में किया गया है। एक स्थानीय प्राधिकरण और अन्य। यह मामला "बुजुर्ग दुर्व्यवहार" के संदर्भ में था जिसमें 50 के दशक में एक व्यक्ति अपने माता-पिता के प्रति शारीरिक और भावनात्मक रूप से आक्रामक व्यवहार करता था।

मौखिक रूप से, आगंतुकों तक पहुंच को नियंत्रित करना और अपने पिता को उनकी इच्छाओं के खिलाफ एक देखभाल गृह में जाने के लिए मजबूर करना। जबकि यह माना जाता था कि बुजुर्ग माता-पिता के पास अर्थ के भीतर क्षमता थी

18 [2014] एनएसडब्ल्यूएससी 53

1 9 19 [2012] 3 सभी ई. आर. 1064 शफीन जहान बनाम।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

मानसिक क्षमता अधिनियम, 2005 में यह पाया गया कि दोनों में से कोई भी "मस्तिष्क या मस्तिष्क के कामकाज में हानि या गड़बड़ी" के अधीन नहीं था, यह पाया गया कि उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप उत्पन्न हुआ।

उनके बेटे द्वारा अनुचित प्रभाव और दबाव से। अपील न्यायालय ने फैसले को पुनः निर्दिष्ट किया: एसए (क्षमता के साथ कमजोर वयस्क: विवाह) 2 0 यह पता लगाने के लिए कि उच्च न्यायालय का माता-पिता का क्षेत्राधिकार "कमजोर यदि 'सक्षम' वयस्कों" के संबंध में मौजूद था। इंग्लैंड और वेल्स उच्च न्यायालय (परिवार प्रभाग) के उद्धृत निर्णय ने सभी कमजोर वयस्कों के संबंध में अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के एक "महान सुरक्षा जाल" के अस्तित्व की पुष्टि की। "महान सुरक्षा जाल" शब्द लॉर्ड डोनाल्डसन द्वारा अपील न्यायालय के फैसले में गढ़ा गया था जिसे बाद में लागू किया गया था।

इन रे एफ में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत (मानसिक रोगी: नसबंदी 2 1. री के अनुच्छेद 79 में कहा गया है: एसए (कमजोर वयस्क के साथ

क्षमता: विवाह), न्यायमूर्ति मुन्बी ने टिप्पणी की:

" अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है जहां कोई कमजोर वयस्क है, या यथोचित रूप से माना जाता है, किसी कारण से प्रासंगिक निर्णय लेने की क्षमता से वंचित है, या स्वतंत्र विकल्प बनाने से अक्षम है, या वास्तविक और वास्तविक सहमति देने या व्यक्त करने से अक्षम या अक्षम है। कारण हो सकता है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए सीमित नहीं है, मानसिक विकार या मानसिक बीमारी। एक कमजोर वयस्क जो किसी भी प्रकार की मानसिक अक्षमता से पीड़ित नहीं है, फिर भी अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के संरक्षण का हकदार हो सकता है यदि वह बाधा, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या अन्य चीजों के कारण प्रासंगिक निर्णय लेने में असमर्थ है या उचित रूप से माना जाता है।

दूषित करने वाले कारक "।

47. यूरोपीय समझौते के अनुच्छेद 8 के संबंध में

मानवाधिकार (ईसीएचआर), न्यायमूर्ति मुन्बी पैराग्राफ 66 में टिप्पणी करते हैं:

" ई. सी. एच. आर. के संदर्भ में, इस संदर्भ में अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग अनुच्छेद 8 के साथ उसी तरह से संगत है जैसे एम. सी. ए. 2005 संगत है। किसी व्यक्ति के निजी या पारिवारिक जीवन के सम्मान के अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने और या अपने अनुच्छेद 8 के अधिकारों का आनंद लेने के उसके अधिकार की रक्षा करने के लिए उचित है जैसा कि वह किसी तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव (या अन्य प्रतिकूल हस्तक्षेप) के बिना चुन सकता है। किसी विशेष मामले में अदालत द्वारा दिया गया कोई भी आदेश केवल वही होना चाहिए जो आवश्यक हो।

20 [2005] ईडब्ल्यूएचसी 2942 (एफएएम) 21 [1990] 2 एसी 1 [2018] 4 एस. सी. आर.

और उस मामले के तथ्यों के अनुपात में, फिर से उसी तरीके से

एम. सी. ए. 2005 के तहत दृष्टिकोण "।

48. हालाँकि, पैराग्राफ 76 में, वह निम्नलिखित टिप्पणी के साथ उपरोक्त सिद्धांत को योग्य बनाता है:

" यह निश्चित रूप से मानवता का सार है कि वयस्क सनकी होने के हकदार हैं, अपरंपरागत होने के हकदार हैं, जिद्दी होने के हकदार हैं, तर्कहीन होने के हकदार हैं। कई हैं "।

49. रे का निर्णय: न्यायमूर्ति मुन्बी द्वारा लिखित और उपरोक्त अपील न्यायालय के मामले में उद्धृत एसए (क्षमता के साथ कमजोर वयस्क: विवाह) (उपरोक्त) एक अठारह वर्षीय लड़की को एक अनुपयुक्त के जोखिम से बचाने के लिए पेरेंट्स पेट्रिया के अभ्यास के संदर्भ में था।

इस आधार पर शादी की व्यवस्था की कि हालांकि लड़की में क्षमता की कमी नहीं थी, फिर भी वह निस्संदेह एक "कमजोर वयस्क" थी।

50. दिलचस्प बात यह है कि एक अन्य मामले में, ए लोकल अथॉरिटी v. एच. बी., एम. बी., एम. एल. और बी. एल. (उनके बच्चों के अभिभावक द्वारा) 22, उच्च

अदालत के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को उन बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था जिन्हें कथित तौर पर उनकी मां द्वारा सीरिया ले जाया जा रहा था, जहां उन्हें कट्टरपंथ का खतरा था। हालाँकि उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में तथ्यों पर आवेदनों को खारिज कर दिया, फिर भी उसने चरमपंथ और कट्टरता के बारे में कुछ टिप्पणियां कीं।

51. श्री दीवान ने ए लोकल अथॉरिटी बनाम में प्राधिकरण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। Y23 जिसमें उच्च न्यायालय (परिवार प्रभाग) ने अपने

एक युवा व्यक्ति, प्रतिवादी वाई, को कट्टरता से बचाने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र। 52. उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने इस अवधारणा पर जोर दिया कि जब मेजर एक कमजोर वयस्क होता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय पैरेंट्स पेट्रिया सिद्धांत का प्रयोग कर सकता है जो इस मामले में प्रयोग किया गया है। उपरोक्त निर्णय, हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। हम बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कहते हैं क्योंकि हमने प्रतिवादी संख्या 9 के साथ बातचीत की है और यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह किसी भी प्रकार की मानसिक अक्षमता या भेद्यता से पीड़ित है। वह अपनी प्रस्तुतियों में पूरी तरह से स्पष्ट थीं और अपनी पसंद की अभिव्यक्ति में स्पष्ट थीं।

शफीन जहान बनाम। अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

53. यहाँ यह कहना अनिवार्य है कि कानून के अनुसार पसंद की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत पहचान की स्वीकृति है। उस अभिव्यक्ति में कटौती और अवधारणा पर वहाँ से निकलने वाली अंतिम कार्रवाई

समाज के प्रति समर्पण का संरचनावाद किसी व्यक्ति की व्यक्तिवादी इकाई को नष्ट कर देगा। सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का अपना स्थान है लेकिन वे संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हैं। उक्त स्वतंत्रता संवैधानिक और मानव अधिकार दोनों है। उस स्वतंत्रता से वंचित होना जो विश्वास के आग्रह पर चुनाव में निहित है, अस्वीकार्य है। एक व्यक्ति का विश्वास उसके सार्थक अस्तित्व के लिए आंतरिक है। आस्था की स्वतंत्रता उसकी स्वायत्तता के लिए आवश्यक है और यह संविधान के मूल मानदंडों को मजबूत करता है। विश्वास चुनना इसका आधार है व्यक्तित्व और इसके बिना, पसंद का अधिकार एक छाया बन जाता है। यह याद रखना होगा कि अधिकार की प्राप्ति अधिकार प्रदान करने से अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह की वास्तविकता वास्तव में किसी भी प्रकार की सामाजिक कुख्याति का बहिष्कार करती है और पितृसत्तात्मक सर्वोच्चता को दूर रखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत विश्वास और पसंद की अभिव्यक्ति अधिकार के फलने-फूलने के लिए मौलिक हैं। इस प्रकार, हम इसे बुलाना चाहेंगे

अनिवार्य प्रारंभिक स्थिति। 54. उसकी पसंद की अस्वीकृति का मतलब केवल एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा संवैधानिक अधिकार के लिए असुविधा पैदा करना होगा जो है -

इसका अर्थ मौलिक अधिकारों का रक्षक होना है। ऐसी स्थिति की दूर से कल्पना नहीं की जा सकती है। न्यायालय का कर्तव्य अधिकार को बनाए रखना है और अधिकार के क्षेत्र को कम करना नहीं है जब तक कि कानून का कोई वैध अधिकार न हो। वैध मंजूरी के बिना, स्वतंत्रता के केंद्रीय मूल्य को एक व्यक्ति को अपनी लिपि लिखने की अनुमति देनी चाहिए। व्यक्तिगत हस्ताक्षर अवधारणा का प्रतीक चिन्ह है। 55. हाथ में मामले में, पिता अपने स्वयं के रुख और धारणा में महसूस कर सकते हैं कि रक्षा करने के उनके अधिकार का भारी उल्लंघन हुआ है

उसकी बेटी के हित में लेकिन उसके दृष्टिकोण या स्थिति को उसकी बेटी के मौलिक अधिकारों में कटौती करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने अपनी इच्छा से अपीलार्थी से शादी की थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह को रद्द करने का भार अपने ऊपर लेकर पूरी तरह से गलती की है। 9 जब दोनों अपने विवाह की प्रतिज्ञा में लगे हुए थे।

56. परिणामस्वरूप, हम अपील की अनुमति देते हैं और विवादित आदेश को रद्द कर देते हैं। हालाँकि, जैसा कि दिनांक 08.03.2018 के आदेश में कहा गया है, एन. आई. ए. द्वारा आपराधिकता के किसी भी मामले में जांच जारी रह सकती है।

कानून के अनुसार। जाँच हुनक वैवाहिक स्थितिक अतिक्रमण नहि करबाक चाही।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. पुनः पुष्टि करते हुए

परिचालन आदेश में दिए गए निष्कर्षों पर, मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश के विवेकपूर्ण निर्णय से सहमत हूं। मैंने इस पर अपने विचार जोड़े हैं

न्यायिक चर्मपत्र वर्तमान मामले में न्याय की घोर विफलता के साथ अपनी पीड़ा व्यक्त करने और इस उम्मीद में सिद्धांत तैयार करने के लिए कि इस तरह के अन्याय को फिर से हादिया या किसी अन्य नागरिक पर नहीं छोड़ा जाएगा। केरल उच्च न्यायालय ने वचन दिया है कि

अधिकार क्षेत्र की त्रुटि। लेकिन जिस तरह से एक नागरिक की स्वतंत्रता और गरिमा का न्यायिक अपमान किया गया है, वह मेरे लिए निराशाजनक है। हादिया ने जो महीने गंवाए थे, जो उसके पिता की हिरासत में और उसकी इच्छा के खिलाफ रखे गए थे, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। इस सहमति वाले फैसले का कारण यह है कि इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपने संवैधानिक कार्यों का प्रयोग करते हुए सिद्धांतों को तैयार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के मूल्यवान अधिकार पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की वेदी पर कम न हों। 2. अखिला उर्फ हादिया के पिता अशोकन ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उनकी आशंका थी कि उनकी बेटी को देश से बाहर ले जाने की संभावना है। सुनवाई के दौरान केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि उसने शफीन जहां से शादी की है। उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि हादिया को एक छात्रावास से उसके पिता के घर ले जाया जाएगा जिसमें वह एर्नाकुलम में रहती थी।

" 24 साल की लड़की कमजोर और कमजोर होती है, जिसका कई तरह से शोषण किया जा सकता है। माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला यह न्यायालय उसकी उम्र की लड़की के कल्याण से संबंधित है। इस न्यायालय पर कम से कम उन लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य है जिन्हें इसके समक्ष लाया जाता है, केवल यह सुनिश्चित करके ही छुट्टी दी जा सकती है कि

कि सुश्री अखिला सुरक्षित हाथों में हैं। "

3. इन निर्देशों के साथ, केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने घोषणा की कि हादिया और शफीन जहां के बीच शादी है

अमान्य और पुलिस द्वारा "एक व्यापक जांच" का आदेश दिया।

हादिया केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपने पिता के घर पर अनिवार्य कारावास में बनी रही। 27 नवंबर 2017 को, इस अदालत ने हादिया के साथ बातचीत की और कहा कि वह सलेम में एक कॉलेज में होम्योपैथी की छात्रा के रूप में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती

है, जहां वह एक छात्रा थी। उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, इस अदालत ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें सलेम की यात्रा करने की अनुमति दी जाए ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

शफीन जहान बनाम। अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

4. शफीन जहां की याचिका पर आखिरकार सुनवाई हो गई है। हादिया इन कार्यवाही में एक पक्ष है।

5. तीन न्यायाधीशों की इस पीठ ने 8 मार्च 2018 को अपने आदेश के कार्यकारी भाग को सुना दिया और अपील को खारिज कर दिया।

शफीन जहां और हदिया के बीच विवाह को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया है कि हादिया अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

6. हादिया मेजर है। चौबीस साल की उम्र में, वह होम्योपैथिक चिकित्सा में डिग्री तक की पढ़ाई कर रही है और

तमिलनाडु के सलेम में एक कॉलेज में सर्जरी। उनका जन्म एझावा समुदाय के माता-पिता के घर हुआ था। जनवरी 2016 में, अशोकन ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि हादिया लापता है। कार्यवाही के दौरान, हादिया केरल उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुई और जोर देकर कहा कि उसने इस्लाम को अपनी पसंद के धर्म के रूप में स्वीकार किया है। 7 जनवरी 2016 से, वह सत्यसारणी शिक्षा की स्थापना में रहती थीं।

मलप्पुरम में धर्मार्थ न्यास। 19 जनवरी 2016 को केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हादिया अवैध नहीं है

उसके साथ बातचीत करने के बाद उसे कैद कर दिया गया और उसे सत्यसारानी ट्रस्ट परिसर में रहने की अनुमति दी गई। लगभग सात महीने बाद, अशोकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक और याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि हादिया को जबरन धर्म परिवर्तन के अधीन किया गया था और उसे भारत से बाहर ले जाने की संभावना थी।

7. कार्यवाही के दौरान, उच्च न्यायालय ने हादिया के साथ बातचीत की। वह एक द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कार्यवाही में पेश हुई अधिवक्ता। उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, हदिया ने अपने माता-पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया और सत्यसारणी में रहने की इच्छा व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने शुरू में एक निर्देश जारी किया कि उसे होना चाहिए

" उसे अपने पिता की कीमत पर एक महिला छात्रावास में रखा गया। 27 सितंबर 2016 को, हदिया ने किसी से बातचीत किए बिना पैंतीस दिनों तक अदालत की हिरासत में रहने की गंभीर शिकायत की। उसने कहा कि उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था और यह आरोप कि उसके सीरिया जाने की संभावना थी, गलत था। उनके अनुरोध के आधार पर, उच्च न्यायालय ने उन्हें सत्यसारणी प्रतिष्ठान में रहने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2016,14 नवंबर 2016 और 19 दिसंबर 2016 को मामले की सुनवाई की। 21 दिसंबर 2016 को उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि हदिया ने 19 दिसंबर

2016 को शादी कर ली है। उच्च न्यायालय ने "जिस तरह से विवाह किया गया है, उस पर पूर्ण असंतोष" दर्ज किया।

इस निर्विवाद तथ्य का सामना करते हुए कि हादिया एक मेजर है, हाई

अदालत ने अभी भी टिप्पणी की:

" पेरेन्स पेट्रिया अधिकारिता का प्रयोग करने वाले इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बंदी जैसी युवा लड़कियों का शोषण या शोषण न हो। देश से बाहर ले जाया गया। हालांकि विद्वान वरिष्ठ वकील ने मुखरता से तर्क दिया है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसने

वयस्कता प्राप्त करने के बाद, इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि बंदी जो बीस की उम्र में एक महिला है, वह कमजोर उम्र में है।

भारतीय परंपरा के अनुसार, एक अविवाहित बेटी की अभिरक्षा माता-पिता के पास होती है, जब तक कि उसकी ठीक से शादी नहीं हो जाती। हम यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का कर्तव्य मानते हैं कि इस तरह के कमजोर राज्य के तहत एक व्यक्ति को आगे खतरे का सामना न करना पड़े, विशेष रूप से ऊपर देखी गई
परिस्थितियों में कहा गया है कि उसकी शादी भी इस्लामी धार्मिक संस्कारों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के साथ की गई थी। वह भी, इस न्यायालय द्वारा 7वें प्रत्यर्थी की मिलीभगत से, जिसके साथ उसे रहने की अनुमति दी गई थी।

हादिया को न्यायिक आदेश के तहत एर्नाकुलम के एक छात्रावास में ले जाया गया था, इस निर्देश के साथ कि:

" उसे मोबाइल फोन रखने या उपयोग करने की सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

बचाएँ और उसके माता-पिता को छोड़कर किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं थी। शादी के 'आचरण' में शामिल अन्य लोगों के साथ शफीन जहां की 'शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पूर्ववृत्त और अन्य प्रासंगिक विवरणों' की जांच का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी 2017,31 जनवरी 2017,7 फरवरी को मामले की निगरानी जारी रखी। 2017 और 22 फरवरी 2017। आखिरकार, 24 मई 2017 के अपने फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया और ऊपर उल्लिखित निर्देश जारी किए।

8. उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए प्रमुख निष्कर्षों पर जाने की आवश्यकता है और उनका सारांश नीचे दिया गया है:

(i) यह "किसी लड़की के किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करने और उससे शादी करने की इच्छा रखने का मामला नहीं था" बल्कि एक "अरेंज मैरिज" थी जिसमें हदिया की कोई पिछली शादी नहीं थी।

शफीन जहाँ के साथ परिचय;

((ii) हादिया की मुलाकात शफीन जहां से एक ऑनलाइन पोर्टल 'वे टू टू' पर हुई थी।

निकाह "; शफीन जहान बनाम। अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(iii) कार्यवाही के दौरान, हदिया ने अदालत के समक्ष कहा था कि वह होम्योपैथी की छात्रा के रूप में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और "उस समय किसी के पास ऐसा मामला नहीं था कि वह

शादी करना चाहता था ";

(iv) हालांकि 19 दिसंबर 2016 को, उच्च न्यायालय ने सुनवाई को 21 दिसंबर 2016 तक के लिए स्थगित कर दिया ताकि वह अपने कॉलेज में आगे बढ़ सके, उसी दिन शादी हुई।

(v) विवाह "केवल एक विश्वास था जिसका उद्देश्य विवाह को स्वीकार करना था।

इस अदालत की पहुंच से बाहर रखा गया ";

(vi) विवाह के बिना विवाह आयोजित करने में पक्षों का आचरण

अदालत को सूचित करना अस्वीकार्य था;

(vii) हादिया के इस्लाम में धर्मांतरण का कोई प्रमाण नहीं है; शफीन जहां और उसके फेसबुक पोस्ट की पृष्ठभूमि।

एक कट्टरपंथी झुकाव दिखाएँ; और

(viii) कोई भी विवेकपूर्ण माता-पिता अपनी बेटी की शादी करने का फैसला नहीं करेगा।

आपराधिक मामले में अभियुक्त व्यक्ति।

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह "केवल एक दिखावा है और इसका कोई परिणाम नहीं है", अदालत के हाथों को मजबूर करने के लिए एक नाटक।

9. वर्तमान कार्यवाही के दौरान, इस न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2017 के अपने आदेश द्वारा प्रथम प्रतिवादी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि

27 नवंबर 2017 को उनकी बेटी की उपस्थिति। 27 नवंबर 2017 को,

हादिया ने सुनवाई के दौरान इस अदालत के समक्ष कहा कि वह सलेम में बी. एच. एम. एस. डिग्री पाठ्यक्रम में आगे की पढ़ाई करने का इरादा रखती है, जहाँ उसे भर्ती कराया गया था। अदालत द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि हादिया बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। हमने स्पष्ट किया कि वह कॉलेज के छात्रावास में रह सकती है क्योंकि वह

काश, उसके साथ "किसी भी अन्य छात्र की तरह व्यवहार" किया जाता।

10. हादिया ने इस्लाम में अपने धर्मांतरण और शफीन जहां से अपनी शादी की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हुए एक हलफनामा दायर किया है।

11. केरल उच्च न्यायालय के फैसले से दो गंभीर चिंताएं सामने आती हैं। पहला यह है कि उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान शफीन जहां और हदिया की शादी को रद्द करने की घोषणा जारी करके अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया।

12. निस्संदेह, एक संवैधानिक न्यायालय की शक्तियाँ व्यापक हैं, जो इसे अन्याय तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं। श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील [2018] 4 एस. सी. आर.

प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होकर उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की प्रचुरता पर जोर दिया। संवैधानिक न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय को सौंपे गए अधिकार क्षेत्र की चौड़ाई पर विवाद नहीं किया जा सकता है। हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून कहते हैं:

" सामान्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय, अभिलेख की एक उच्चतर अदालत के रूप में, अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर न्याय के सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में न्यायिक शक्ति का पूर्ण प्रयोग करता है, और मूल कानून के सभी मामलों में अप्रतिबंधित और असीमित शक्तियां प्राप्त करता है, सिविल और आपराधिक दोनों, सिवाय इसके कि इसे वैधानिक अधिनियम द्वारा स्पष्ट शब्दों में छीन लिया गया है। "अंतर्निहित अधिकारिता" शब्द का उपयोग सामान्य कानून में प्रयोग की जाने वाली अदालत की अधिकारिता के विपरीत नहीं किया जाता है या इसे क़ानून या अदालत के नियमों द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि अदालत उन मामलों के संबंध में भी अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग कर सकती है जो क़ानून या अदालत के नियम द्वारा विनियमित होते हैं। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो "अंतर्निहित" शब्द के भीतर शामिल है, वह है जो इसे कानून के न्यायालय के रूप में उचित और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाता है।"

अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के दायरे से निपटने के लिए, गजेंद्रगडकर, उड़ीसा राज्य में मुख्य न्यायाधीश बनाम रामचंद्र देव और मोहन प्रसाद सिंह देव 1 ने इस प्रकार देखा:

" संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत,

उच्च न्यायालय निस्संदेह बहुत व्यापक है। उक्त अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय द्वारा उद्देश्यों के लिए भी उपयुक्त रिट जारी किए जा सकते हैं।

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा और उस अर्थ में, एक पक्ष जो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की विशेष अधिकारिता का आह्वान करता है, वह केवल इस मौलिक अधिकार के अवैध आक्रमण के मामले तक ही सीमित नहीं है। लेकिन हालांकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता उस अर्थ में व्यापक है, उस अनुच्छेद के समापन शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि किसी पक्ष के पक्ष में एक रिट या उचित आदेश जारी करने से पहले, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि पक्ष का अधिकार है और उक्त अधिकार पर अवैध रूप से हमला किया गया है या उसे धमकी दी गई है। एक अधिकार का अस्तित्व इस प्रकार है अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका की नींव।

केशव सिंह 2 में राज्य विधानसभाओं की शक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में विचार करते हुए, सात विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया: 1 1 आकाशवाणी (1964) एससी 685

2 (1965) 1 एस. सी. आर. 413 शफीन जहान बनाम

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 136 ..... उच्चतम अभिलेख न्यायालय के मामले में, यह न्यायालय को विचार करना है कि क्या कोई मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय के विपरीत, उच्च न्यायालय को अपने लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार है। हैल्सबरी कहते हैं, "प्रथम दृष्टया", कोई भी मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जाता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं दिखाया जाता है, जबकि कुछ भी निम्न अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जब तक कि यह कार्यवाही के सामने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है कि विशेष मामला विशेष अदालत के संज्ञान में है [हैल्सबरी का इंग्लैंड का कानून, खंड। 9 , पी। 349] " .

अभूतपूर्व स्थितियों से निपटने के लिए उच्च न्यायालय को एक असाधारण अधिकार क्षेत्र दिया गया है (टी. के. रंगराजन बनाम टी. एन. 3 की सरकार)। कई निर्णयों में अंतर्निहित और पूर्ण शक्तियों का उल्लेख किया गया है उच्च न्यायालय से। उनका उद्देश्य पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाना है। (i) रोशन दीन बनाम प्रीति लाल 1; (ii) द्वारका नाथ बनाम आईटीओ, स्पेशल सर्कल डी-वार्ड, कानपुर 5; (iii) नरेश श्रीधर नीरज कर बनाम महाराष्ट्र राज्य; और (iv) एम. वी. एलिजाबेथ बनाम हरवन निवेश और व्यापार (पी) Ltd.7

13. मिसाल से उभरने वाले ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। समान रूप से एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा सभी शक्तियों का प्रयोग कानून के तहत और उसके अनुसार न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। 14. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अदालत के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को रेखांकित करने वाले सिद्धांतों को कई मामलों में दोहराया गया है।

न्यायालय के निर्णय। ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली 3 मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जहां किसी व्यक्ति की आयु अठारह वर्ष से अधिक है, वहां उसकी पसंद पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। रहने के लिए या उस व्यक्ति के बारे में जिसके साथ वह रह सकती है:

" ..... याचिकाकर्ता की जन्म तिथि जो भी हो, तथ्य यह है कि उसकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक है। चूंकि याचिकाकर्ता स्वयं न्यायपालिका है, इसलिए उस व्यक्ति की पसंद पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है जिसके साथ उसे रहना है, और न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां उसे रहना चाहिए। अदालत ने

3 3 (2003) 6 एस. सी. सी. 581

4 (2002) 1 एससीसी 100

5 (1965) 3 एससीआर 536

6 (1966) 3 एससीआर 744

71993 पूरक। (2) एस. सी. सी. 433 8 (1976) 3 एस. सी. सी. 234 [2018] 4 एस. सी. आर.

या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी ऐसे मामले में याचिकाकर्ता की राय या वरीयता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का दायरा एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाना है जिसे लापता बताया गया है। एक बार जब व्यक्ति अदालत के समक्ष पेश होता है और दावा करता है कि एक मेजर के रूप में, वह अवैध कारावास के तहत नहीं है, जिसे अदालत इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति मानती है, जो अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को समाप्त करेगी। गिरीश बनाम राधामोनी के 'मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 3 ..... बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, केवल उस व्यक्ति का पता लगाना और उसे अदालत में पेश करना आवश्यक है जिसे लापता बताया गया है। एक बार जब व्यक्ति पेश हुआ और उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी, तो उच्च न्यायालय के पास अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

संविधान का अनुच्छेद 226 "।

लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 0 वाले मामले में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपनी जाति या धर्म से बाहर शादी करने वाली युवा महिलाओं और पुरुषों के साथ होने वाले उत्पीड़न, धमकी और हिंसा का न्यायिक संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि हमारा समाज एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी अवधि से गुजर रहा है और अदालत गंभीर चिंता के ऐसे मामलों पर चुप नहीं रह सकती है। में अदालत का दृष्टिकोण:

" 17 ..... यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार एक व्यक्ति

मेजर बन जाता है और वह जिससे चाहे शादी कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह को मंजूरी नहीं देते हैं तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते हैं या हिंसा के कृत्य नहीं कर सकते हैं या भड़का नहीं सकते हैं और उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं जो इस तरह के अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरता है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि

देश भर में प्रशासन/पुलिस अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की, जो एक वयस्क है, किसी वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाता है और न ही धमकी या हिंसा के कृत्यों का सामना करना पड़ता है, और जो कोई भी इस तरह की धमकी देता है या परेशान करता है या हिंसा के कृत्य करता है, वह खुद या उसके उकसावे पर करता है।

पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके कार्रवाई की गई

10 (2006) 5 एस. सी. सी. 475 शफीन जहान बनाम।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ और कानून द्वारा प्रदान किए गए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कड़ी कार्रवाई की जाती है।

भगवान दास बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 1 1 में इन सिद्धांतों को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने ऑनर किलिंग की सामाजिक बुराई को एक सामंती मानसिकता का प्रतिबिंब बताया जो राष्ट्र पर एक कलंक है। सोनी गेरी बनाम गेरी डगलस 1 2 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक और हाल के फैसले में, इस न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जहां अपीलार्थी और प्रतिवादी की बेटी, जो एक वयस्क थी, ने कुवैत में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, जहां वह अपने पिता के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 9 ..... उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपना करियर बनाने के लिए कुवैत वापस जाने का इरादा रखती हैं। ऐसी स्थिति में, हमारी सुविचारित राय है कि एक मेजर के रूप में, वह अपनी पसंद और स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हकदार है और न्यायालय इस पहलू में नहीं जा सकता है कि उसे पिता द्वारा मजबूर किया गया है या नहीं। कुवैत में अपने पिता के पास वापस जाने के लिए उसकी ओर से पर्याप्त कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उसके कारणों से चिंतित नहीं हैं। उन्होंने न्यायालय के समक्ष जो कहा है, केवल वही मायने रखता है और यही इस न्यायालय के लिए तर्क का केंद्र है, जो सभी बातों को ध्यान में रखता है

विवादों में घिरा हुआ है।

10. यह कहने के लिए कोई विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में वयस्कता की आयु प्राप्त करने का अपना महत्व है। उसे अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। अदालतें, जब तक विकल्प बना रहता है, पेरेंस पेट्रिया की भूमिका नहीं निभा सकती हैं। बेटी को अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है क्योंकि कानून अनुमति देता है और अदालत को मां की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित एक अति संरक्षक की भूमिका नहीं माननी चाहिए। हम बिना किसी आपत्ति के ऐसा कहते हैं।

कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय उनके लिए मौलिक है। 15. उच्च न्यायालय अशोकन की इस शिकायत से अवगत था कि उनकी बेटी अवैध रूप से कैद थी और होने की संभावना थी

देश से बाहर ले जाया गया। पूर्व की सुनवाई के दौरान

1 1 (2011) 6 एससीसी 396

12 (2018) 2 एससीसी 197 13 (1973) 2 एससीसी 674 [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका, उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी 2016 के अपने आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से देखा कि हादिया अपने माता-पिता के घर लौटने के लिए तैयार नहीं थी। हादिया की रहने की इच्छा पर ध्यान देना

सत्यसारणी, उच्च न्यायालय ने कहा कि कथित बंदी को उसके भविष्य के जीवन के संबंध में अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

उस आदेश के पारित होने के साथ 25 को रिट याचिका वापस ले ली गई।

जनवरी 2016। फिर भी, जब दूसरी याचिका दायर की गई, तो उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि हादिया की अपने माता-पिता के साथ रहने की कोई इच्छा नहीं थी। वह मेजर हैं। इस अवसर पर डिवीजन बेंच ने पहले के परिणाम और एक समन्वय बेंच के फैसले पर बहुत कम ध्यान दिया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पहले की कार्यवाही में अपनाए गए पाठ्यक्रम से भटकने का प्रयास किया।

16. हादिया और उसके पिता के बीच मतभेद दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। लेकिन यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं था तय करें कि इसे हादिया के लिए जीवन का 'न्यायपूर्ण' तरीका या 'सही' जीवन शैली क्या माना जाता है। उसे अपने व्यक्ति पर पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। हादिया

उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुई और कहा कि वह अवैध कारावास में नहीं थी। उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में आगे बढ़ने का कोई वारंट नहीं था। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उद्देश्य समाप्त हो गया। इसे बंद करना पड़ा जैसा कि पहले की पीठ ने किया था। उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया है जो उसके अधिकार क्षेत्र से अलग है। उच्च न्यायालय ने हदिया के आचरण को दयालुता से नहीं लिया, यह देखते हुए कि जब उसने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए निर्देश जारी करने के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी थी, तो यह उस स्तर पर था जब वह शफीन जहां के साथ केवल अदालत को उनकी शादी की सूचना देने के लिए पेश हुई थी। हादिया अपना जीवन कैसे चुनती है, यह पूरी तरह से उसकी पसंद का मामला है। अदालत के साथ उसकी स्पष्टता की कमी के बारे में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का उसकी शादी की वैधता या खुद के लिए निर्णय लेने के उसके अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके साथ वह रहना या शादी करना चाहती है।

17. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए विवाह को अमान्य घोषित करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग स्पष्ट रूप से न्यायिक शक्ति से अधिक है। उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया है। इस प्रक्रिया में संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। यह दूसरा पहलू है जिसकी ओर हम अब मुड़ते हैं।

18. हदिया और शफीन जहां वयस्क हैं। मुस्लिम कानून के तहत, विवाह या निकाह एक अनुबंध है। मुस्लिम कानून शफीन जहान बनाम के अधिकार को मान्यता देता है।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

वयस्कों को अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए। वैध मुस्लिम विवाह के लिए शर्तें इस प्रकार हैं:

दोनों व्यक्तियों को इस्लाम का पालन करना चाहिए।

((ii) दोनों की आयु युवावस्था की होनी चाहिए। ((iii) एक प्रस्ताव और स्वीकृति और दो गवाह होने चाहिए।

उपस्थित होना चाहिए;

((iv) डावर और मेहर; और

(v) निषिद्ध स्तर के संबंध की अनुपस्थिति।

या, जैसा भी मामला हो, प्रथा। वैवाहिक स्थिति से वंचित होना गंभीर महत्व का विषय है और यह सख्ती से कानून के अनुसार होना चाहिए। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवाह को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करनी चाहिए थी। संविधान स्वतंत्रता और स्वायत्तता को मान्यता देता है जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। इसमें उन पहलुओं पर निर्णय लेने की क्षमता शामिल है जो किसी के व्यक्तित्व और पहचान को परिभाषित करते हैं। विवाह के भीतर या बाहर साथी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के अनन्य अधिकार क्षेत्र में होता है। विवाह की अंतरंगताएँ गोपनीयता के एक मूल क्षेत्र के भीतर होती हैं, जो अलंघनीय है। जीवन साथी चुनने का किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार आस्था के मामलों से कम से कम प्रभावित नहीं होता है। संविधान प्रत्येक को गारंटी देता है

व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने, स्वीकार करने और प्रचार करने का अधिकार है। विवाह के मामलों में विश्वास और विश्वास के विकल्प वास्तव में एक ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहां व्यक्तिगत स्वायत्तता सर्वोच्च होती है। कानून वैध विवाह के लिए शर्तें निर्धारित करता है। यह संबंधों के दौरान उपचार प्रदान करता है। भागते हैं। न तो राज्य और न ही कानून भागीदारों की पसंद को निर्देशित कर सकते हैं या इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र क्षमता को सीमित कर सकते हैं। वे संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार हैं। यह तय करते हुए कि क्या शफीन जहां हदिया से शादी करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, उच्च न्यायालय ने कहा

निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया है। हमारी पसंद का सम्मान किया जाता है क्योंकि वे हमारी हैं। अंतरंग व्यक्तिगत निर्णयों के लिए सामाजिक अनुमोदन नहीं है उन्हें पहचानने का आधार। वास्तव में, संविधान दर्शकों को नापसंद करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

20. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 16 मानव स्वतंत्रता की एक घटना के रूप में विवाह के मौलिक महत्व को रेखांकित करता है:

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" अनुच्छेद 16. (1) नस्ल, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण बिना किसी सीमा के पूर्ण आयु के पुरुषों और महिलाओं को शादी करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह, विवाह के दौरान और उसके विघटन पर समान अधिकारों के हकदार हैं।

(2) विवाह केवल स्वतंत्र और पूर्ण रूप से किया जाएगा।

इच्छुक पति/पत्नी की सहमति।
(3) परिवार समाज की स्वाभाविक और मौलिक समूह इकाई है और समाज और राज्य द्वारा सुरक्षा का हकदार है।

21. अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। संविधान जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार को एक ऐसे कानून के माध्यम से लिया नहीं जा सकता है जो मूल रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो। स्वतंत्रता के लिए आंतरिक, जिसे संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है, प्रत्येक व्यक्ति की खुशी की खोज के लिए केंद्रीय मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। विश्वास और विश्वास के मामले, जिसमें विश्वास करना भी शामिल है

पालन करें। पोशाक और भोजन, विचारों और विचारधाराओं, प्रेम और साझेदारी के मामले पहचान के केंद्रीय पहलुओं के भीतर हैं। कानून वैध विवाह की शर्तों को (संवैधानिक अनुपालन के अधीन) विनियमित कर सकता है, क्योंकि यह उन स्थितियों को विनियमित कर सकता है जिनमें वैवाहिक संबंध को समाप्त या रद्द किया जा सकता है। ये उपचार विवाह के पक्षकारों के लिए उपलब्ध हैं। क्योंकि वे ही सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं कि उन्हें एक-दूसरे को वैवाहिक संबंध में स्वीकार करना चाहिए या उस रिश्ते में बने रहना चाहिए। समाज की कोई भूमिका नहीं है

भागीदारों की हमारी पसंद को निर्धारित करने में खेलते हैं।

22. न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 1 4 में, इस न्यायालय ने नौ न्यायाधीशों के निर्णय में कहा कि निर्णय लेने की क्षमता किसी के जीवन के करीब के मामले मानव व्यक्तित्व का एक अलंघनीय पहलू है:

" व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। किसी की मानसिक अखंडता और गोपनीयता के बीच का प्रतिच्छेदन व्यक्ति को अधिकार देता है

विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता। परिवार, शादी, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी गरिमा के अभिन्न अंग हैं।

व्यक्ति से "।

14 1 4 2017 (10) एस. सी. सी. 1 शफीन जहान बनाम।

अशोकन के. एम. और ओ. आर. एस. [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ, सामान्य कारण (ए रेगुलेशन) में। सोसायटी) बनाम भारत संघ 1 5, आयोजितः

" व्यक्तियों के रूप में हमारी स्वायत्तता निर्णय लेने की क्षमता पर आधारित हैः क्या पहनना है और कैसे कपड़े पहनना है, क्या खाना है और क्या खाना है जो हम साझा करते हैं, कब बोलना है और क्या बोलना है, विश्वास करने या न करने के अधिकार पर, किसे प्यार करना है और किसे साथी बनाना है, और अनगिनत मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना है। हमारे दैनिक जीवन के लिए परिणाम और विवरण।

23. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने एक ऐसे क्षेत्र पर कदम रखा है जो संवैधानिक न्यायालय के लिए सीमा से बाहर होना चाहिए। के विचार उच्च न्यायालय ने महिलाओं और पुरुषों के लिए आरक्षित एक निजी स्थान का अतिक्रमण किया है जिसमें न तो कानून और न ही न्यायाधीश घुसपैठ कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का विचार था कि चौबीस साल की उम्र में हादिया "कमजोर और कमजोर है, कई तरीकों से शोषण करने में सक्षम है"। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि वह एक बड़ी है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार का हकदार है कि वह अपनी इच्छानुसार जीवन जी सके। इस मामले में हस्तक्षेप करने में इस न्यायालय की चिंता न्याय की विफलता के बारे में है जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय में उतना ही पितृत्ववाद है जो संवैधानिक व्याख्या के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है जो अपील में निर्णय में परिलक्षित होता है। वरिष्ठ न्यायालय, जब वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं तो वे ऐसे व्यक्तियों के मामले में ऐसा करते हैं जो स्वतंत्र इच्छा का दावा करने में असमर्थ हैं जैसे कि नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति। उस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को वैवाहिक संबंध के लिए भागीदारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यह निर्णय विशेष रूप से व्यक्तियों पर निर्भर करता है।

स्वयं। न तो राज्य और न ही समाज उस क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते हैं। हमारे संविधान की ताकत हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता को स्वीकार करने में निहित है। विवाह की अंतरंगता, जिसमें वे विकल्प शामिल हैं जो व्यक्ति शादी करने या न करने और किससे शादी करने के बारे में करते हैं, राज्य के नियंत्रण से बाहर हैं। संवैधानिक स्वतंत्रताओं के संरक्षक के रूप में न्यायालयों को इन स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी चाहिए। हमारे समाज की एकता और स्थिरता हमारी समन्वयात्मक संस्कृति पर निर्भर करती है। द.

1 5 2005 [2018] की रिट याचिका (सिविल) संख्या 215 4 एस. सी. आर.

संविधान इसकी रक्षा करता है। न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे एक राष्ट्र के रूप में हमारे बहुलवाद और विविधता को बनाए रखने के रास्ते से न हटें।

24. ऐसे मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप का स्वतंत्रता के प्रयोग पर गंभीर रूप से भयावह प्रभाव पड़ता है। दूसरों को व्यायाम करने से मना किया जाता है

प्रतिशोध के डर से उनकी स्वतंत्रता जो पसंद के स्वतंत्र अभ्यास पर परिणाम दे सकती है। दूसरों पर डरावना प्रभाव उन्हें अपनी स्वतंत्रता का दावा करने से रोकने की एक हानिकारक प्रवृत्ति रखता है। राज्य शक्ति के कठोर प्रयोग से जुड़े सार्वजनिक चश्मे उसी परिवेश में दूसरों द्वारा स्वतंत्रता के प्रयोग को रोकते हैं। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए इतना विनाशकारी कुछ भी नहीं हो सकता है। भय स्वतंत्रता को चुप करा देता है।

बंदी। यदि वह नहीं थी, और अपने स्वयं के प्रयासों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखती थी, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मामला समाप्त हो गया था। इस तथ्य का कि उसने कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शादी करने का फैसला किया, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संवैधानिक रूप से इसका परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। 26. कार्यवाही के दौरान, इस न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को न्यायालय की सहायता करने की अनुमति दी थी।

इसके बाद एन. आई. ए. को जाँच करने की अनुमति दी गई। हम स्पष्ट करते हैं कि एन. आई. ए. कानून द्वारा उसे प्रदत्त प्राधिकरण की सीमा के भीतर कानून के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। हालांकि, शफीन जहां और हदिया के बीच शादी की वैधता जांच का विषय नहीं बनेगी। इसके अलावा, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश में निहित कुछ भी सशक्तीकरण के रूप में नहीं माना जाएगा

27. 8 मार्च 2018 के हमारे आदेश के संदर्भ में अपील की अनुमति है। उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।